न्यायालय—तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)
(समक्ष—डी.पी.मिश्रा)

कम्प्यूटरीकृत प्र.क.600560/2013
सत्र प्रकरण क0 560/13
संस्थित दिनांक 22.08.13

मध्य प्रदेश राज्य,
व्दाराः आरक्षी केन्द्र गोरखपुर जबलपुर

————————————**अभियोजन।**

//विरूद्ध//

1. राजेश उर्फ राकेश पिता ओमप्रकाश यादव
उम्र—18 वर्ष,

2. राजा यादव पिता बुलेटन यादव, उम्र—35 वर्ष,

3. ओमप्रकाश यादव पिता बुलेटन यादव,
उम्र—50 वर्ष, तीनों निवासी—नर्मदा नगर,
रेल्वे लाइन पार, ग्वारीघाट थाना गोरखपुर,
जबलपुर म0प्र0

———————————**आरोपीगण।**

शासन की ओर सेःश्री अनिल तिवारी अपर लोक अभि.
आरोपीगण की ओर से श्री रमन पटेल अधिवक्ता।

// निर्णय //

:—आज दिनांक 29.12.2016 को घोषित—:

1. आरोपीगण राजेश उर्फ राकेश, राजा यादव, ओमप्रकश यादव के विरूद्ध धारा 364ए सहपठित धारा 120बी, धारा 302 सहपठित धारा 120बी, धारा 201 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय आरोप है कि दिनांक 26.03.2013 को सुबह 9 बजे के लगभग नर्मदा नगर रेल्वे लाईन के पास, थाना गोरखपुर अंतर्गत आरोपीगण ने आपसी सहमति द्वारा दरबारा सिंह के पुत्र अजीत उर्फ बॉबी का अपहरण, मुक्ति धन और मुक्ति धन देने को विवश करने हेतु हत्या करने के लिये करार किया था और उक्त सहमति के अनुशरण में अजीत का अपहरण कर 50 लाख रूपये की मुक्ति धन की मांग की और मुक्ति धन देने के लिये विवश करते हुये अजीत की मृत्यु कारित की।

— दिनांक 26.03.2013 को आरोपीगण ने ग्वारीघाट थाना गोरखपुर अंतर्गत आपसी सहमति से अजीत पॉल उर्फ बॉबी की हत्या करने का करार

(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य) सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि

किया और उक्त सहमति के अग्रशरण में दिनांक 26.03.2013 को प्रातः 9 बजे से दिनांक 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य अजीत पॉल का चाकू से गला काटकर साशय हत्या कारित की

— आरोपीगण ने दिनांक 26.03.2013 को प्रातः 9 बजे से 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य थाना गोरखपुर अंतर्गत रेल्वे लाइन के पार खंदारी नाला से 15 मीटर की दूरी पर स्थित पुराना कुंआ में अजीत पॉल का शव यह जानते हुये या विश्वास करने का कारण रखते हुये छुपाया कि अजीत पाल की हत्या हुई है जो मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है और इस प्रकार आरोपीगण ने साक्ष्य को विलोपित इस आशय से किया कि स्वंय को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित किया जा सके।

2— अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2013 को रात्रि 9 बजे श्रीमती रजवंत कौर पी0डब्ल्यू0 1 का 15 वर्षीय पुत्र अजीत पॉल उर्फ बॉबी घर से कहीं चला गया। तलाश करने पर पता नहीं चलने पर दिनांक 27.03.2013 को श्रीमती रजवंत कौर द्वारा थाना गोरखपुर में गुम इंसान सूचना दर्ज कराई गई। दिनांक 27.03.2013 को गुम इंसान क्रमांक 46/13 सायं के 16.15 बजे प्र0पी0—1 प्रधान आरक्षक गणेश सिंह अ0सा0—6 द्वारा लेख की गई। गुम इंसान की जांच के दौरान रजवंत कौर अ0सा0—1, मिट्ठू उर्फ अमरजीत अ0सा0—2, मोनू उर्फ तरनजीत अ0सा0—10 के कथनों के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एस.परमार अ0सा0—16 द्वारा गुम इंसान की जांच उपरांत दिनांक 28.03.2013 को अपराध क्रमांक 273/13 पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी0—35 लेखबद्ध कर संहिता की धारा 364ए, 365 के अधीन अपराध की कायमी की गई । आर.एस.परमार द्वारा अमरजीत उर्फ मिट्ठू के कथनों में प्रकट मोबाइल नंबर 8305650342 बॉबी के फोनकर्ता के कब्जे में होने तथा 50 लाख रूपये की मांग किये जाने के तथ्यों के आधार पर उक्त मोबाइल नंबर की जांच कराई गई। सांई दत्त बोहरे अ0सा0—15 नोडल अधिकारी ने प्र0पी0—31, 32, 33, 34 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा संतोष जाधव अ0सा0—17 रिलायंस कंपनी के नोडल अधिकारी द्वारा उक्त मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर प्र0पी0—35 की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विवेचना अधिकारी आर.एस.परमार अ0सा0—16 द्वारा दिनांक 29.03.2013 को आरोपी राकेश उर्फ राजेश को अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम प्र0पी0—8 लेखबद्ध किया गया तथा प्र0पी0—8 के आधार पर मौके पर पहुंचकर उसी दिन देहाती मर्ग 0/13 प्र0पी0—25 लेखबद्ध की गई। आरक्षक विनोद अ0सा0—11 ने प्र0पी0—25 का मर्ग थाने में ले जाकर असल मर्ग क्रमांक 23/13 लेखबद्ध कराया गया। विमल कांत द्विवेदी अ0सा0—14 द्वारा असल मर्ग प्र0पी0—26 कायम की गई। दिनांक 29.03.2013 को ही विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी राजेश के मेमोरेण्डम प्र0पी0—8 के आधार पर साक्षी जितेन्दर सिंह एवं मलकीत के साथ आरोपी की निशादेही पर रेल्वे लाइन पार खंदारी नाला के पास पहुंचकर उसी दिन घटना स्थल का नक्शा प्र0पी0—13, शाम 15.15 बजे तैयार

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

किया गया। अजीत पॉल उर्फ बॉबी की लाश जो प्लास्टिक की बोरी में कुंए के अंदर थी, निकलवाकर मृतक की मुट्ठी में फंसे बाल, बोरी तथा गले में लपटी साल जप्त कर जप्ती पंचनामा 16.20 बजे तैयार कर प्र0पी0—12 की जप्ती बनाई गई। घटना स्थल पर स्थित हौदी के फर्श पर पड़े खून आलूदा मिट्टी जो सूखे पत्तों से ढकी थी, पत्ते हटवाकर खून आलूदा तथा सादी मिट्टी, प्लास्टिक की चप्पल जो हौदी के अंदर थी, जिसमें आगे तरफ खून लगा था, एक पुरानी चप्पल जो हौदी के बाहर थी, जप्त कर सीलबंद कर प्र0पी0—9 की जप्ती शाम 17.30 बजे तैयार की गई। दिनांक 29.03.2013 को ही आरोपी राजेश के मेमोरेण्डम के आधार पर गवाहों के समक्ष घटना स्थल पर स्थित हौदी से कुछ दूर पड़ी मेक्डॉवेल की खाली बॉटल जप्त कर शाम 17.40 बजे जप्ती पत्र प्र0पी0—10 तैयार किया गया। शाम 18 बजे राजेश की निशादेही पर गवाहों के समक्ष नाले में से चाकू जप्त कर जप्ती पत्र प्र0पी0—11 लेख किया गया। 17.15 बजे घटना स्थल का नक्शा प्र0पी0—14 तैयार किया गया। प्र0पी0—2 की नोटिस गवाहों को जारी की गई। शव पंचनामा प्र0पी0—3 तैयार किया गया। आर.एस. परमार अ0सा0—16 द्वारा प्र0पी0—7 का आवेदन पूर्ति कर आरक्षक सुशील अ0सा0—12 से मृतक का शव, पोस्ट मार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया। तदोपरांत दिनांक 31.03.2016 को विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी राजेश का मेमोरण्डम प्र0पी0—15 लेखबद्ध किया गया। प्र0पी0—15 के आधार पर उसके भाई बृजेश **(अपचारी बालक)** का मेमोरेण्डम प्र0पी0—17 लेख किया गया। प्र0पी0—17 के आधार पर बृजेश से दो मोबाइल प्र0पी0—19 के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2013 को आरोपी राजा का मेमोरेण्डम प्र0पी0—16 तैयार किया गया। प्र0पी0—16 के मेमोरेण्डम के आधार पर उसी दिन आरोपी राजा से खून लगे कपड़े जप्त किये गये। दिनांक 05.04.2013 को आरोपी ओम प्रकाश का मेमोरेण्डम प्र0पी0—22 लेख किया गया। प्र0पी0—22 के आधार पर उसी दिन राजेश के खून लगे टी शर्ट, फुल लोवर की जप्ती प्र0पी0—23 के अनुसार की गई। आरोपी राजेश उर्फ राकेश एवं आरोपी राजा को, प्र0पी0—41 का पत्र लिखकर ब्लड नमूना हेतु अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर पी.के.शर्मा अ0सा0—5 द्वारा दिनांक 02.04.2013 को आरोपी राजेश एवं राजा का ब्लड सेंपल लिया गया, तत्संबंधी पंचनामा प्र0पी0—5,6 तैयार किया गया। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव अ0सा0—7 द्वारा दिनांक 30.03.2013 को मृतक की पी.एम. रिपोर्ट प्र0पी0—7 तैयार की गई। दिनांक 07.04.2013 को विवेचना अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर जप्तशुदा चाकू आर्टीकल—ए की क्वेरी रिपोर्ट तैयार की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा श्रीमती राजवंत कौर, अमरजीत, पूरन सिंह, शिव प्रकाश, के कथन लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा सामग्रियों को एफ.एस.एल. सागर डी.एन.ए. जांच हेतु प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस थाना गोरखपुर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

3— पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 364ए सहपठित धारा 120बी, 302 सहपठित धारा 120बी, धारा 201 भा.द.सं. का आरोप निर्मित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया है तथा विचारण चाहा है।

4— धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण दौरान आरोपीगण का बचाव है कि उनकी डेयरी के पास सरदारों की कॉलोनी बस रही है, डेयरी की काफी जमीन सरदारों द्वारा दबा ली गई है और उन्हें वहां से भगाने हेतु रजवंत कौर के बच्चे के साथ हादसा होने पर सरदार अपने प्रभाव से आरोपीगण को झूठा फंसा दिये हैं तथा कई मामले बनवा दिये हैं। आरोपी ओमप्रकाश घटना दिनांक को चेहनिया बनारस में भर्ती था। आरोपीगण निर्दोष हैं। प्रतिरक्षा में आरोपीगण ने डॉक्टर अजय भंडारी ब0सा0—1, प्रिंसी ठाकुर ब0सा0—2, डॉक्टर संदीप कुमार ब0सा0—3 का साक्ष्य कराया है।

अवधारणीय प्रश्न यह है कि —

1. क्या दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 9 बजे से दिनांक 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य मृतक अजीत पॉल उर्फ बॉबी की मृत्यु हुई थी?
2. क्या दिनांक 26.03.2013 को सुबह 9 बजे के लगभग आरोपीगण ने थाना गोरखपुर सीमा क्षेत्रांतर्गत अपराधिक षड्यंत्र के अनुशरण में अजीत पाल उर्फ बॉबी का व्यपहरण किया था तथा बॉबी की हत्या की धमकी देकर मुक्ति धन के लिये विवश किया था?
3. क्या दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 9 बजे से 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य आरोपीगण ने आपराधिक षड्यंत्र के अनुशरण में अजीत पाल उर्फ बॉबी की साशय हत्या की थी?
4. क्या दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 9 बजे से 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य अजीत पॉल उर्फ बॉबी का शव, स्वंय को उसकी हत्या के दंड जो मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है, से प्रतिच्छादित करने के उद्देश्य से उसका शव छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया था?

सकारण निष्कर्ष

5— डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव अ0सा0—7 ने दिनांक 30.03.2013 को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 10.15 बजे सुबह आरक्षक सुशील दुबे क्रमांक 1527 थाना गोरखपुर के लाने पर मृतक अजीत पाल उर्फ बॉबी पिता दरबार सिंह के शव की पहचान मृतक के मामा अमरजीत तथा मौसा मंगल सिंह ने की थी। शव का परीक्षण किया जाना व्यक्त करते हुये शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0—7 लेखबद्ध करना प्रकट किया है। प्र0पी0—7 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उसकी अंर्तवस्तु की पुष्टि कर इस साक्षी ने प्रकट किया है कि परीक्षण करने पर मृतक व्यस्क होना, शरीर पर कई रंगों का टी शर्ट, महरूम

(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य) सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि

कलर का लोवर पहने होना, मृतक के गले में बिना गांठ का एक गीला रूमाल था, कपड़े गीले होना पाया था। मृतक की त्वचा हरे रंग की हो गई थी। कुछ हिस्से में पील ऑफ भी हो गई थी। शरीर फूल गया था, अकड़न जा चुकी थी।

6— डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव अ0सा0—7 ने यह भी प्रकट किया है कि परीक्षण के समय मृतक के गले के सामने वाले भाग में कटा हुआ घाव 12 से. मी. गुणा 0.2 से.मी. गुणा 4 से.मी. आकार की जो थाइराइड कार्टीलेज के थोड़ा सा नीचे था, उपलब्ध था। घाव के कारण त्वचा, मांसपेशियां, धमनी एवं शिरायें, रक्त वाहिकायें ट्रेकिया, खाने की नली से लेकर वर्टीब्रा तक कट गई थी। खून के थक्के आसपास के टिस्यूज में अंदर घुसे हुये थे। सतही गले में कटने की चोट 7 से.मी. गुणा 0.2 से.मी. गुणा 0.3 से.मी. आकार की थी जो कि चोट क्रमांक 1 के थोड़ा नीचे थी। उपरोक्त दोनो चोटों के मार्जिन क्लीन कट थे और खून के थक्के अंदर घुसे हुये थे।

7— आंतरिक चोटों के संबंध में साक्षी ने प्रकट किया है कि मृतक के खोपड़ी, कपाल और कशेरूका स्वस्थ थे, सिल्ली, मस्तिष्क और मेरूरज्जू सेमी लीक्वीफाइड थे, पर्दा, पसली और कोमलसव, फुफ्फुस स्वस्थ थे। दोनो फेफड़े काले पड़ गये थे। पेडीऑन परकसियम, हृदय शॉफ्ट हो गये थे। वृहद वाहिका शाफ्ट थी। पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रास नली, ग्रसनी शाफ्ट हो गये थे। पेट में अधपचा खाना था, छोटी और बड़ी आंत सड़ने की गैस और मल के कारण फूल गये थे, यकृत प्लीहा, गुर्दा शाफ्ट हो गये थे। मूत्राशय खाली था। भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियां इन्टेक्ट थी। सारे भीतरी अंगों और बड़ी रक्त वाहिनियों में खून नहीं था। इस साक्षी ने मृतक के कपड़े सीलबंद कर नमूना सील अंकित कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द किया था। इस साक्षी के अभिमतानुसार मृतक की मृत्यु शव परीक्षण प्रारंभ करने के समय से तीन से पांच दिवस के अंदर हुई थी। मृत्यु का कारण हेमरेजिक शॉक था। सभी चोटें मृत्यु पूर्व, धारदार वस्तु से गला कटने की चोट के कारण होना संभव थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

8— विवेचना अधिकारी श्री आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने साक्ष्य में यह पुष्ट किया है कि शव परीक्षण आवेदन प्र0पी0—7 दिनांक 29.03.2013 को भरकर आरक्षक सुशील दुबे से शव पोस्ट मार्टम हेतु भेजा था। सुशील दुबे का कर्तव्य प्रमाण पत्र प्र0पी0—27 है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। सुशील दुबे अ0सा0—12 ने भी उक्त तथ्यों की अपनी साक्ष्य में पुष्टि की है और यह कहा है कि दिनांक 29.03.2013 को मृतक अजीत पॉली उर्फ बॉबी का शव मेडिकल कॉलेज जबलपुर पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया था दिनांक 30.03.2013 को डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने पोस्ट मार्टम किया था। कर्तव्य प्रमाण पत्र प्र0पी0—27 पर इस साक्षी ने भी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। सुशील दुबे अ0सा0—12 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी0—28 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर यह प्रमाणित किया है कि डॉक्टर ने मृतक के जो कपड़े

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सीलबंद पैकेट में दिया था, थाने ले जाकर जप्त कराया था, जप्ती पंचनामा **प्र0पी0—28** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। उक्त तथ्यों का खंडन उक्त दोनो साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया गया है। उपरोक्त परस्पर समर्थित साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त अभिकथित समयावधि दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 9 बजे से दिनांक 29.03.2013 के 13.45 बजे के मध्य अजीत पॉल उर्फ बॉबी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

9— मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। *AIR 1984 SUPREME COURT 1622 "Sharad Biridhichand में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा—3 की व्याख्या करते हुये परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों के संबंध में किस आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है; के संबंध में न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जो इस प्रकार है :—*

(E) Evidence Act (1 of 1872), S.3 - EVIDENCE - Circumstantial evidence - Conviction on basis of - Conditions precedent. The following conditions must be fulfilled before a case against an accused based on circumstantial evidence can be said to be fully established;
(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The circumstances concerned' must or should' and not 'may be' established.
(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.
(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and
(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonble groung for the conclusion consistent with the innocence of the the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

10- बचाव अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्याय दृष्टांत **बक्शी सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1971 सी.ए.आर. 169 एस.सी., इराडु एवं अन्य विरूद्ध सिटी आफ हैदराबाद ए.आई.आर. 1956 एस.सी.316 भी** परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अवलोकनीय हैं।

11— अब इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण ने आपराधिक षड्यंत्र के अनुशरण में अजीत पॉल उर्फ बॉबी का व्यपहरण/अपहरण किया था? क्या आरोपीगण ने अजीत पॉल उर्फ बॉबी की हत्या की धमकी देकर उसके माता पिता को पचास लाख रूपये मुक्तिधन की मांग कर विवश किया था? क्या आपराधिक षड्यंत्र के अनुशरण में आरोपीगण ने अजीत पॉल उर्फ बॉबी की साशय मृत्यु कारित की थी?

12— उक्त संबंध में रजवंत कौर अ0सा0—1 ने साक्ष्य में प्रकट किया है कि उसका पुत्र अजीत पॉल उर्फ बॉबी 15 वर्ष का था, इस साक्षी ने स्वंय का मकान जो नर्मदा नगर में रेल्वे लॉइन के पार था, 60 लाख रूपये में 22 मार्च 2013 को कीर्ति तिवारी को बेचा था। दिनांक 26.03.2013 को रात्रि लगभग 9 बजे पुत्र अजीत पॉल होलिका देखने को कहकर घर से गया था, वापिस नहीं आया। इस साक्षी ने सोचा कि अजीत अपने मामा के घर सो गया होगा, क्योंकि इस साक्षी के भाई लोग नर्मदा नगर में ही इसके घर के सामने रहते हैं। दूसरे दिन 27 मार्च 2013 को इस साक्षी की पुत्रियां कमलजीत कौर तथा बलजीत कौर अपने मामा के घर गई तो वहां पता चला कि अजीत पाल रात्रि में सोने नहीं गया था। बच्चियों ने तब सूचना दी थी कि अजीत पॉल उर्फ बॉबी मामा के यहां नहीं है, फिर रिश्तेदारों के यहां इस साक्षी ने टेलीफोन से पता किया, किसी रिश्तेदार के यहां बॉबी नहीं गया था, **27 मार्च** को ही यह साक्षी ग्वारीघाट गुरूद्वारा गई, अजीत पॉल नहीं मिला, फिर इस साक्षी ने गुम इंसान की सूचना चौकी ग्वारीघाट में दी थी। प्र0पी0—1 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं और यह कहा है कि बी से बी भाग पर इसके बच्चे की फोटो लगी है। अमरजीत अ0सा0—2 ने भी अपनी साक्ष्य में रजवंत कौर अ0सा0—1 के उक्त कथनों का समर्थन करते हुये यह कहा है कि 26 मार्च 2013 को बॉबी घर नहीं पहुंचा तो इसकी बहन रजवंत कौर दूसरे दिन सुबह इसके घर आई, फिर रजवंत कौर के साथ गुरूद्वारा बॉबी को ढूंढने उसके साथ गई थी, तलाश करने पर बॉबी उर्फ अजीत के न मिलने पर ग्वारीघाट में इसकी बहन ने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाया था।

13— प्रधान आरक्षक गणेश सिंह अ0सा0—6 ने भी प्र0पी0—1 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर 27 मार्च, 2013 को रजवंत कौर द्वारा उसके पुत्र अजीत पॉल के संबंध में दी गई सूचना पर गुम इंसान क्रमांक 46/13 कायम करना प्रकट कर उसे प्रमाणित किया है। यद्यपि गणेश सिंह अ0सा0—6 ने प्रतिपरीक्षण दौरान यह कहा है कि थाने में समय 24 घण्टे के हिसाब से दर्ज की जाती है।

प्र0पी0—1 में समय '9 बजे' उल्लेखित है किंतु इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में ही कहा है कि रजवंत कौर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि रात्रि 9 बजे लड़का गुम गया है। उक्त साक्षीगण की संपूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता जिससे प्र0पी0—1 की गुम इंसान सूचना शंकास्पद होती हो। उक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 26 मार्च 2013 के रात्रि 9 बजे घर से जाने के बाद अजीत पॉल उर्फ बॉबी घर वापिस नहीं गया था।

14— रजवंत कौर अ0सा0—1 ने साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक **28.03.2013** को मिट्ठू उर्फ अमरजीत अ0सा0—2 तथा आरोपी ओमप्रकाश जो इसका पड़ोसी है,दोनो ग्वारीघाट गुरूद्वारा जाकर बॉबी की तलाश किये, वह नहीं मिला, मिट्ठू और आरोपी ओमप्रकाश जब वापिस आ रहे थे तभी मिट्ठू के मोबाइल पर फोन आया था कि 'मैं खान बोल रहा हूँ, तुम्हारा बॉबी मेरे कब्जे में है, 50 लाख रूपये भिजवाओ एवं 50 लाख रूपये नहीं भिजवाओगे तो बॉबी का गला काटकर हत्या कर दूंगा' अमरजीत सिंह उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने भी उक्त तथ्य की यथावत् पुष्टि अपनी साक्ष्य के दौरान की है तथा यह कहा है कि जिस नंबर से फोन आया था, उसका नंबर **8305620342** तथा इस साक्षी का मोबाइल नंबर 9300434520 है। रजवंत कौर अ0सा0—1, अमरजीत सिंह उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने एकदूसरे का समर्थन करते हुये साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि अमरजीत सिंह, रजवंत कौर के पास जाकर फोन की बात बता रहा था, तभी दोबारा फोन आया, फिर रजवंत कौर को अमरजीत ने फोन दे दिया था। रजवंत कौर अ0सा0—1 ने यह व्यक्त किया है कि फोन करने वाला व्यक्ति बोल रहा था कि 'मैं खान बोल रहा हैं, तुम्हारा बॉबी मेरे कब्जे में है, उसे 50 लाख रूपये भिजवाओ, अगर तुमने पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति को बताया तो तुम्हारे बेटे की गला काटकर हत्या कर देगा।' फिर इस साक्षी ने कहा कि ऐसा न करना, जैसे कहोगे पैसा भिजवा देगें। फिर इस साक्षी ने बॉबी से बात करने को कहा, फोन में आवाज आई कि मम्मी बचा लो मै बॉबी बोल रहा हूँ। बॉबी की आवाज सुनकर फोन इसके हाथ से छूट गया था। अमरजीत उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने भी उक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुये यह कहा है कि इसकी बहन रजवंत कौर ने बॉबी से बात करने को कहा था , जैसे ही इसकी बहन ने फोन से बात की, उसके हाथ से फोन छूट गया, वह गिर गई। दोनो साक्षीगण ने एकदूसरे का समर्थन करते हुये यह कहा है कि उस समय आरोपी ओमप्रकाश भी उपस्थित था, आरोपी ओमप्रकाश ने फोन लेकर बात की और कहने लगा कि बताओ पैसे कहां लेकर आना है, और फोन पर गाली गलौच करने लगा था। फिर वह फोन मोनू गुलजार ने जो रजवंत कौर का पड़ोसी है ले लिया था, मोनू ने फोन लिया तो फोन कट गया था। उक्त दोनो साक्षीगण ने एकदूसरे का समर्थन करते हुये यह भी कहा है कि मोनू गुलजार ने अपने मोबाइल से उसी नंबर पर फोन किया था और बॉबी से बात कराने को कहा था, फिर मोनू ने कहा था कि बॉबी की आवाज नहीं है। मोनू ने जिस मोबाइल से फोन किया था, उसका नंबर लिखकर थाने में दिया था।

15— तरनजीत गुजराल उर्फ मोनू अ0सा0—10 ने रजवंत कौर तथा आरोपीगण को अपना पड़ोसी होना प्रकट कर यह कहा है कि **28 मार्च 2013 को सुबह लगभग 10.30 बजे बॉबी की मम्मी फोन से बात कर रही थी**, उस समय यह साक्षी, प्रकाश, रजवंत कौर तथा मिट्ठू थे। रजवंत कौर किडनेपर से बात करते—करते रोने लगी फिर ओम प्रकाश ने फोन लिया था और किडनेपर से बात की थी और कहा था कि पैसे लेकर कहां आना है तथा किडनेपर को गाली गलौच की थी, फिर यह साक्षी फोन लिया तो फोन कट गया था। उसी समय इस साक्षी ने अपने फोन से उक्त नंबर पर डायल किया था, उक्त मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव रखा है। साक्षी ने न्यायालय में मोबाइल फोन में सेव एक्स वाय जेड दिखाकर यह कहा है कि मोबाइल नंबर **8305620342** है।

16— तरनजीत अ0सा0—10 ने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि फिर यह साक्षी अपने मोबाइल से उसी नंबर पर फोन लगाया था तब पूछने पर उस व्यक्ति ने बोला था कि मैं खान बोल रहा हूँ तो इस साक्षी ने बॉबी से बात कराने को कहा तो उसने बोला, मम्मी मैं बॉबी और रोने की आवाज आई, तब इसने बोला कि यह बॉबी की आवाज नहीं है, फोन करने वाले व्यक्ति ने बोला था कि पचास लाख रूपये के लिये एक माह का समय दे रहा है, तब इसने कहा कि एक महिने बच्चे को पालोगे क्या तो इसके बाद फोन कट गया और मोबाइल नंबर कागज पर लिखकर इसने बॉबी की मम्मी को दिया था। रजवंत कौर अ0सा0—1 तथा अमरजीत सिंह उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने भी तरनजीत उर्फ मोनू अ0सा0—10 द्वारा स्वंय के मोबाइल से दूसरे व्यक्ति के फोन पर बात करने वाली बात की पुष्टि की है।

17— रजवंत कौर अ0सा0—1 ने आगे अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि उस समय आरोपी ओमप्रकाश पीछे खड़ा था, उसने कहा कि दीदी अभी तुम कितने पैसों की व्यवस्था कर सकती हो, इस साक्षी ने कहा कि घर में एक लाख रूपये हैं तो आरोपी ओमप्रकाश ने बाकी पैसों के संबंध में पूछा तो फिर इस साक्षी ने कहा कि बैंक में है, तब आरोपी ओमप्रकाश ने कहा कि एक लाख रूपये अभी दे दो, बाकी 20 लाख रूपये बैंक से निकलवा लो, किंतु इस साक्षी के घर में रिश्तेदार आये थे तो यह एक लाख रूपये ओम प्रकाश को नहीं दे पाई। फिर आरोपी ओमप्रकाश ने ए.टी.एम. होने के संबंध में पूछा तब इसने कहा कि ए.टी.एम. नहीं है। फिर मोनू ने जो नंबर लिखकर दिया था वह ले जाकर थाने में दे दी थी। थाने से वापिस आने के बाद ओमप्रकाश आया और बोला की दीदी पुलिस को कुछ नहीं बताना, तुम्हारा बॉबी रात्रि को 12 बजे छूट जायेगा। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी ओमप्रकाश फिर रात्रि को इसके पास आया, यह साक्षी रात 9 बजे के बाद अपने भाई के घर आ गई थी, यह घर के बाहर अकेले बैठी थी तो 11 बजे रात्रि आरोपी राजा आकर बोला कि पैसों की लालच में तेरे भाई मिट्ठू और मेजर ने बॉबी को अगवा कर लिया है, आरोपी राजा नंगी तलवार लिया था और यह कहा था कि

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि) (विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

दीदी तू बोले तो भाइयों का गला काटकर हत्या कर देता हूँ, तब इस साक्षी ने मना किया था कि मेरे भाई ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर अपने भाइयों को बाहर न जाने के लिये इसने बोला था। उपरोक्त घटनाक्रम बॉबी उर्फ अजीत पॉल के दिनांक **26.03.2013 के गुमने के बाद, दिनांक 28.03.2013 की रात्रि तक की है। दिनांक 27.03.2013 को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।**

18— आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने अपनी साक्ष्य में गुम इंसान क्रमांक 46/13 की जांच दौरान साक्षी मिट्ठू, मोनू उर्फ तरनजीत के कथनो के आधार पर दिनांक 28.03.2013 के 18.20 बजे अपराध क्रमांक 273/13 पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन धारा 364ए, 365 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया है। **प्र0पी0—35** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 38 में इस साक्षी ने यह कहा है कि रजवंत कौर का भी कथन दिनांक 28.03.2013 को लिया था और दूसरा कथन दिनांक 29.03.2013 को लिया था। इस साक्षी ने दिनांक 28.03.2013 को रजवंत कौर, अमरजीत, मोनू उर्फ तरनजीत के कथन, प्रथम सूचना लेख करने के पूर्व लिखा था तथा दिनांक 29.03.2013 को उक्त साक्षियों के कथन अपराध पंजीयन बाद विवेचना दौरान लिया था।

19— रजवंत कौर अ0सा0—1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 16, 17 में अपनी मुख्य परीक्षा दौरान कंडिका 3, 4, 5 एवं 6 में किये गये कथनों को दिनांक 28.03.2013 के बयान **प्र0डी0—1** में नहीं बताना कहा है। मुख्य परीक्षा की कंडिका 3,4,5 में दिनांक 28.03.2013 को दिन में हुये घटनाक्रम का विस्तृत विवरण इस साक्षी ने बताया है। कंडिका 6 में दिनांक 28.03.2013 की रात्रि के समय की घटना का विवरण दिया है, जिसमें ओमप्रकाश के पुनः आने और राजा द्वारा नंगी तलवार लेकर पहुंचकर धमकी दिया जाना अभिवर्णित है। दिनांक 28.03.2013 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुये अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जहां ओमप्रकाश एवं उसका पुत्र रजवंत कौर के पड़ोसी थे, ओमप्रकाश, रजवंत कौर के बच्चे के गुमने के बाद ही बच्चे को ढूंढने में सहयोग कर रहा था, जांच दौरान ओमप्रकाश पर कोई शंका न होने के कारण दिनांक 28.03.2013 को जांच कथन में ओमप्रकाश के सहयोग के संबंध में न बताये जाने के कारण रजवंत कौर अ0सा0—1 का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता, ना ही उक्त कथन अतिश्योक्ति पूर्ण के समतुल्य माना जा सकता है। रजवंत कौर अ0सा0—1 ने स्पष्टतः कंडिका 32 में प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कहा है कि ओमप्रकाश व उसके परिवार से कभी कोई रंजिश नहीं थी।

20— अमरजीत अ.सा.—2 की प्रतिपरीक्षा दौरान कंडिका 19, 22, 25 में इस साक्षी के न्यायालयीन कथन तथा पूर्व कथन प्र0डी0—2 एवं प्र0डी0—3 में कुछ विरोधाभास एवं विलुप्तियां उद्धृत की गई हैं जो सारवान प्रकृति की होना

(शासकीय/निजी उपयोग हेतु प्रतिलिपि) (शासकीय/जनकारी हेतु प्रतिलिपि)

प्रतीत नहीं होती, जिससे अमरजीत अ0सा0—2 की साक्ष्य की विश्वसनीयता दुष्प्रभावित होती हो। तरनजीत गुजराल उर्फ मोनू अ0सा0—10 के न्यायालयीन कथन तथा पुलिस कथन प्र0डी0—5 में प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 एवं 10 में कुछ विसंगतियां उद्धृत की गई है किंतु उक्त विसंगतियां सारवान प्रकृति की नहीं है। एक ही घटना के संबंध में भिन्न—भिन्न समय पर किये गये कथनों में कुल विसंगतियां होना सहज स्वाभाविक है।

21— **रजवंत कौर अ0सा0—01** ने कंडिका 30 में प्रतिपरीक्षा दौरान यह कहा है कि जिस मोबाइल नंबर से फिरौती और बच्चे की हत्या करने की धमकी दी गई थी, वह नंबर याद नहीं है। स्वतः कहा है कि पुलिस को लिखकर नंबर दे दिया था। **अमरजीत अ0सा0—2** ने कंडिका 16 में प्रतिपरीक्षा दौरान सहज, स्वाभाविक रूप से यह कहा है कि जिन्होंने फोन किया था वह किसका फोन था, इसे मालूम नहीं है, किंतु वह फोन नंबर थाने में दे दिया था, यह पता नहीं किया था कि फोन किसके नाम का था। तरनजीत गुजराल उर्फ **मोनू अ0सा0—10** ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह कहा है कि फोन नंबर 8305620342 इसने पुलिस को बता दिया था, वह किसका नंबर था, इसे नहीं मालूम, सेव किया गया नंबर न्यायालय में भी बता दिया है। कंडिका 11 में यह कहा है कि मोबाईल नंबर पता लगाने का काम पुलिस का है, इसलिये खुद पता नहीं किया था ।

22— आर.एस.परमार **अ0सा0—16** ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि **मोबाईल नंबर 8305620342** से फिरौती मांग किये जाने की जानकारी लगने पर इसने काल डिटेल और आई.एम.ई.आई नंबर की जानकारी सायबर सेल से ली थी, यह जानकारी मिली थी कि उक्त नंबर, आई.एम.ई.आई. नंबर **358327028551270** के फोन पर चलाये गये थे। उक्त आई.एम.ई.आई. नंबर के मोबाइल पर सिम नंबर **9993135127** की सिम डली चलती थी, जो ओमप्रकाश यादव के नाम पर थी।

23— **संतोष जाधव अ0सा0—17** रिलायंस कंपनी के सहायक नोडल अधिकारी हैं। इस साक्षी ने यह प्रकट किया है कि फरवरी 2011 से रिलायंस कम्यूनिकेशन, मानसरोवर काम्प्लेक्स भोपाल में सहायक नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत् है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर के चाहे जाने पर रिलायंस **मोबाइल नंबर 8305620342** का कॉल डिटेल ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया था। कॉल डिटेल कंपनी द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर के माध्यम से कॉल डिटेल के साफ्टवेयर का उपयोग करते हुये निकाला गया था। उक्त कम्प्यूटर इस साक्षी के आधिपत्य एवं नियंत्रण में है, जिसकी यूजर आई.डी. व पासवर्ड इसके पास ही है। यह साक्षी मोबाइल नंबर 8305620342 का कॉल डिटेल दिनांक 6 मार्च 2013 से 28 मार्च 2013 तक जो दो पन्नों में है, न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने प्रकट किया है कि कॉल डिटेल के अनुसार **उपयोग किये गये आई.एम.ई.आई. नंबर 358327028551270 है**, कॉल

(शासकीय जानकारी हेतु प्रतिलिपि, निजी उपयोग हेतु अप्राप्य)

डिटैल **प्र0पी0—35ए** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं तथा साक्ष्य के संबंध में धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का **प्रमाण पत्र प्र0पी0—36** प्रस्तुत कर उस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर कार्यालय की सील अंकित होना कहा है। बचाव अधिवक्ता ने **प्र0डी0—6** के संबंध में इस साक्षी से प्रश्न किये हैं तो प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः यह प्रकट किया है कि मोबाइल नंबर 8305620342 भूराजी पिता दीपू म.न. 433 गांधी वार्ड, तहसील जबलपुर के नाम से आवंटित की गई थी।

24— **अमरजीत सिंह उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2** ने स्वंय के मोबाइल नंबर **9300434520 पर मो.न. 8305620342** से फोन आना प्रकट किया है, प्रतिपरीक्षण दौरान कंडिका 21 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इसका मोबाइल पुलिस ने जप्त नहीं किया था, ना ही सिम जप्त हुई थी, किंतु प्रतिपरीक्षण दौरान यह प्रश्नगत नहीं किया गया है कि मोबाइल नंबर 9300434520 इस साक्षी का नंबर नहीं था। प्र0पी0—35ए से यह पुष्ट होता है कि दिनांक 28 मार्च 2013 मोबाइल नंबर 8305620342 से अमरजीत उर्फ मिट्ठू के मोबाइल नंबर 9300434520 पर कॉल किया गया है। प्र0पी0—35ए से यह पुष्ट होता है कि दिनांक **28 मार्च 2013 को मोबाइल नंबर 8305620342 मोबाइल आई.एम.ई.आई. नंबर 358327028551270 से सुबह 9.35 बजे से 9.50 बजे के मध्य चलाई गई थी।**

25— एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी सांई दत्त बोहरे **अ0सा0—15** ने आई.एम.ई.आई. नंबर **358327028551270** का दिनांक 01 जनवरी 2013 से 29 मार्च 2013 तक का काल डिटेल ई—मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जबलपुर को उपलब्ध कराये जाना प्रकट किया है। उक्त काल डिटेल कंपनी द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जबलपुर को उपलब्ध कराया जाना प्रकट किया है। उक्त कॉल डिटेल कंपनी द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर के माध्यम से साफ्टवेयर का उपयोग कर निकाला जाना प्रकट किया है तथा यह कहा है कि कम्प्यूटर इस साक्षी के ही आधिपत्य एवं नियंत्रण में रहता है, जिसका आई.डी.यूजर एवं पासवर्ड इसके पास है। **मोबाइल नंबर 999335127** के उपभोक्ता का नाम **ओमप्रकाश पिता बुलेटन** निवासी—1200/सी.एच. ग्वारीघाट वार्ड जबलपुर है। इस साक्षी ने न्यायालय में 65—बी का प्रमाण पत्र तथा काल डिटेल एवं आई.एम.ई.आई. की हार्ड कॉपी प्रस्तुत किया है। कॉल डिटेल **प्र0पी0— 31** नौ पृष्ठों में है तथा आई.एम.ई.आई. डिटेल **प्र0पी0—32** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। मो.न. 9993135127 की कॉल डिटेल के संबंध में धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र **प्र0पी0—33** तथा आई.एम.ई.आई. नंबर 358327028551270 के संबंध में धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र **प्र0पी0—34** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा सारवान तथ्य उद्धृत नहीं किया गया है, जिससे इस साक्षी की साक्ष्य दुष्प्रभावित होती हो। **पारस जैन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान**

मनु/आर.एच./1150/2015 के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र विचारण के प्रक्रम पर प्रस्तुत किया जा सकता है तथा न्यायालय मामले के न्यायपूर्व निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुती का आदेश किसी भी प्रक्रम पर कर सकती है।

26— इस प्रकार संतोष जाधव **अ0सा0—17** तथा सांइदत्त बोहरे **अ0सा0—15** के परस्पर समर्थित साक्ष्य से यह पुष्ट होता है कि ओमप्रकाश के मोबाईल नंबर **9993135127** जिसका **आई.एम.ई.आई. नंबर 358327028551270** था, में रिलायंस मोबाइल नंबर की सिम नंबर **8305620342** का उपयोग कर दिनांक 28.03.2013 की सुबह 9.35 से सुबह 9. 50 बजे के मध्य मिट्ठू उर्फ अमरजीत के मोबाईल नंबर से संपर्क हुआ था। **प्र0पी0—31** के दस्तावेज से यह भी पुष्ट होता है कि दिनांक 28 मार्च 2013 की **शाम 6.05 मिनिट 21 सेकेण्ड** पर काल डिटेल निकलवाया गया था।

27— विवेचना अधिकारी आर.एस.परमार **अ0सा0—16** ने अभियोजन मामले की पुष्टि करते हुये यह कहा है कि अभिकथित फोन नंबर 8305620342 ओमप्रकाश के मोबाइल नंबर 9993135127 से चलने की जानकारी प्राप्त होने पर यह साक्षी नर्मदा नगर ग्वारीघाट आरोपीगण के घर गया था। आरोपी राजेश उर्फ राकेश को अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचकर साक्षी जितेन्द्र उर्फ सोनू तथा मलकीत सिंह के सामने दिनांक **29.03.2013 को 13.45** बजे पूछताछ की थी, तो उसने लाश कुंए के अंदर से बरामद करना तथा चाकू नाले से बरामद कराना बताया था। इस साक्षी ने आरोपी राकेश का मेमोरेण्डम प्र0पी0—8 लेखबद्ध किया था। **मेमोरेण्डम प्र0पी0—8** पर स्वंय के हस्ताक्षर तथा आरोपी के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। जितेन्दर सिंह **अ0सा0—8** मेमोरेण्डम का साक्षी है, इस साक्षी ने भी आर.एस.परमार अ0सा0—16 की उक्त साक्ष्य का समर्थन कर यह कहा है कि राजेश यादव थाना गोरखपुर में गिरफ्तार हुआ था। टी.आई. के पूछताछ करने पर बताया था कि लाश ग्वारीघाट रोड नर्मदा नगर कुंए में है, **मेमोरेण्डम प्र0पी0—8** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

28— आर.एस.परमार **अ0सा0—16** ने साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि **प्र0पी0—8** की सूचना पर आरोपी तथा साक्षियों को लेकर नर्मदा नगर खंदारी नाला के पास गया था। आरोपी राजेश उर्फ राकेश की लाश बताने पर देहाती मर्ग क्रमांक 0/13 दिनांक 29.03.2013 के 15 बजे लेख की थी। देहाती मर्ग **प्र0पी0—25** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। इस साक्षी ने प्रकट किया है कि आरक्षक विनोद वर्मा के माध्यम से देहाती मर्ग थाना भेजा था। विनोद कुमार **अ0सा0—11** ने उक्त कथनों का समर्थन कर थाना प्रभारी आर.एस.परमार द्वारा दिये जाने पर **प्र0पी0—25** का देहाती मर्ग इंटीमेशन ले जाकर थाने में ए.एस.आई. विमल कांत द्विवेदी को असल कायमी हेतु देना कहा

(शासकीय जानकारी हेतु प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

है। असल कायमी **प्र0पी0—26** पर विनोद कुमार अ0सा0—11 ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। विमल कांत द्विवेदी **अ0सा0—14** ने भी उक्त कथनों की पुष्टि कर यह कहा है कि आरक्षक विनोद कुमार के पेश करने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन प्र0पी0—25 के आधार पर दिनांक 29.03.2013 को थाना गोरखपुर में असल मर्ग क्रमांक **23/13 शाम 16.05** बजे कायम किया था। प्र0पी0—26 पर इस साक्षी ने भी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

29— आर.एस. परमार—**अ0सा0—16** ने दिनांक 29.03.2013 को 15.15 बजे साक्षी जितेन्द्र, मलकीत सिंह के सामने नक्शा मौका **प्र0पी0—13** तैयार कर उस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। जितेन्दर सिंह **अ0सा0—8** ने भी उक्त तथ्यों की पुष्टि कर प्र0पी0—13 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। आर.एस.परमार **अ0सा0—16** ने साक्ष्य में प्रकट किया है कि आरोपी राजेश के बताये गये कुंए से दिनांक 29.03.2013 को लाश बाहर निकलवाकर पंचों को **प्र0पी0—2** की नोटिस जारी किया था तथा पंचों की उपस्थिति में शव पंच नामा **प्र0पी0—3** तैयार किया था। लाश सफेद रंग की बोरी के अंदर भरी थी। बोरी का मुंह काले रंग की सुतली से बंधा था। बोरी की रस्सी खोलकर प्लास्टिक की बोरी गोताखोर दशरथ वर्मन से ब्लेड से कटवाकर खुलवाया था। लाश के चेहरे व गर्दन में काई कलर का साल जैसा कपड़ा लिपटा था। लाश मृतक अजीत पॉल उर्फ बॉबी पिता दरबारा सिंह की होना बताया था। लाश के गले में रूमाल जैसे कपड़े से फांसी लगी थी, गला दाहिने तरफ करीब आधा कटा हुआ था, जो धारदार हथियार से काटा जाना प्रतीत हो रहा था। लाश के दाहिने हाथ की उंगलियों में कुछ छोटे—छोटे बाल फंसे हुये थे, लाश से बदबू आ रही थी। इसी साक्षी ने प्रकट किया है कि इस साक्षी ने शव पंचनामा प्र0पी0—3 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उसकी अंर्तवस्तु की यथावत् पुष्टि की है। इसी साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि शव की मुट्ठी में फंसे हुये बालों को जो मृतक के दाहिने हाथ के पंजे की उंगलियों के बीच में फंसे हुये थे, निकलवाकर गवाहों के सामने सीलबंद किया था। प्लास्टिक की बोरी तथा लिपटा हुआ काई कलर का साल सील किया था तथा जप्ती पत्र प्र0पी0—12 तैयार किया था। जप्ती पत्र **प्र0पी0—12** पर भी इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उसकी अंर्तवस्तु की यथावत् पुष्टि की है।

30— जितेन्दर सिंह **अ0सा0—8** ने भी प्र0पी0—2,3 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुये आर.एस.परमार **अ0सा0—16** की साक्ष्य की पुष्टि कर यह कहा है कि राजेश यादव के बताने पर पुलिस वाले आरोपी तथा मलकीत सिंह के साथ यह साक्षी कुंए के पास गया था, कुंआ राजेश यादव ने बताया था। अजीत पाल की लाश कुंए से बाहर निकाली गई थी जो प्लास्टिक की बोरी में पैक थी, खोलने पर बॉबी की लाश निकली थी, उसके गले में कपड़ा लिपटा था, कपड़ा हटाकर देखने पर उसका गला कटा हुआ था, उसके हाथ, नाखूनो में बाल फंसे हुये थे, पुलिस ने जप्त किये थे। पुलिस ने शव पंचनामा कार्यवाही

की थी, इस साक्षी ने नोटिस **प्र0पी0—2,** शव पंचनामा कार्यवाही **प्र0पी0—3** तथा जप्ती नामा प्र0पी0—12 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। आर.एस. परमार अ0सा0 16 द्वारा प्र0पी0—12 की कार्यवाही 29.03.2013 के 16.20 बजे की गई है।

31— आर.एस.परमार **अ0सा0—16** ने साक्ष्य में प्रकट किया है कि दिनांक 29.03.2013 को ही घटना स्थल पर बनी सीमेंट की होदी के अंदर एवं बाहर से राजेश यादव की निशादेही पर गवाहों की उपस्थिति में सीमें के फर्श पर पड़ा खून जो सूखे पत्तों से ढंका था का खून आलूदा मिट्टी तथा फर्श की सादी मिट्टी, होदी के अंदर पड़ी काले रंग की प्लास्टिक की चप्पल जिसमें आगे की तरफ खून लगा था तथा होदी के बाहर पड़ी काले रंग की पुरानी चप्पल जिसमें पीछे की तरफ खूल लगा था को सील कर जप्ती पंचनामा **प्र0पी0—9** तैयार किया था। राजेश यादव की निशादेही पर होदी से_कुछ दूर जमीन पर, मैक्डॉवेल नंबर 1 लिखी कांच की बॉटल जप्त कर जप्ती पत्र **प्र0पी0—10** तैयार किया था। प्र0पी0—9 एवं 10 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उक्त दस्तावेजों की अंर्तवस्तु की पुष्टि की है। जितेन्दर सिंह **अ0सा0—8** ने भी प्र0पी0—9 एवं 10 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर आर.एस.परमार अ0सा0—16 की साक्ष्य का पूर्णतः उक्त तथ्यों के संबंध में समर्थन किया है। आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने उसी दिन **प्र0पी0—8** के आधार पर आरोपी राजेश द्वारा नाले से निकालकर लोहे का चाकू जिसमें खून के दाग लगे थे, पेश करने पर जप्त कर **प्र0पी0—11** की जप्ती बनाना कहा है तथा यह कहा है कि मौके पर चाकू सीलबंद किया था। प्र0पी0—11 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

32— जितेन्दर सिंह **अ0सा0—8** ने भी उक्त तथ्यों के संबंध में आर.एस.परमार अ0सा0—16 की साक्ष्य की यथावत् पुष्टि कर जप्ती पत्र **प्र0पी0—11** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। आर्टीकल ए का चाकू दिखाये जाने पर यह कहा है कि यही चाकू पुलिस ने जप्त किया था। दिनांक 29.03.2013 को ही राजेश की निशादेही पर **प्र0पी0—14** का नक्शा तैयार किया जाना तथा आरोपी को गिरफ्तार कर **प्र0पी0—36ए** का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया जाना कहते हुये आर.एस.परमार ने उक्त दस्तावेज प्रमाणित किये हैं। उक्त तथ्यों का खंडन इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका है।

33— आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने साक्ष्य में यह कहा है कि इस साक्षी ने राजेश उर्फ राकेश से जप्त किया गया चाकू पी.एम. रिपोर्ट के साथ मेडिकल अस्पताल भेजकर उक्त चाकू से मृतक के गले में चोट आने के संबंध में क्वेरी रिपोर्ट हेतु आवेदन प्रेषित किया था, **क्वेरी आवेदन प्र0पी0—15ए** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव अ0सा0—7 ने आर्टीकल ए का चाकू दिखाये जाने पर वही चाकू पी.एम. रिपोर्ट

सामान्य जानकारी/प्रशिक्षण हेतु (अनाधिकृत प्रतिलिपि)

के साथ दिनांक 07.04.2013 के आवेदन के साथ क्वेरी हेतु पुलिस थाना गोरखपुर से प्राप्त होना प्रकट कर यह कहा है कि सीलबंद पैकेट में भेजे गये चाकू को खोलकर देखा था, चाकू सिंगल एजेड थी उस पर भूरे रंग के जंग जैसे धब्बे थे, चाकू की टिप गोल थी, काटने वाले धार की लंबाई 8 इंच थी तथा बेस पर चाकू 01 इंच चौड़ा था। पी.एम.रिपोर्ट में वर्णित चोट क्रमांक 1 एवं 2 उक्त चाकू से आना संभव था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यद्यपि यह कहा है कि अपने काम की व्यस्तता की वजह से भेजे गये चाकू का परीक्षण दिनांक 18.04.2013 को किया था, किंतु उक्त आधार पर इस साक्षी का साक्ष्य शंकास्पद नहीं हो जाता। प्र0पी0—15ए पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर इस साक्षी ने उसकी अंर्तवस्तु की पुष्टि की है।

34— **प्र0पी0—37** आरोपी राजेश यादव के मकान से सिम की तलाशी संबंधी पंचनामा है। दिनांक 30.03.2013 को साक्षी आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने सिम प्राप्त नहीं होना कहा है। **प्र0पी0—38** तलाशी पंचनामा है। आरोपी राजेश के बताये जाने पर ग्वारीघाट लाल कुंआ पहुंचकर टूटी हुई सिम की तलाशी ली थी, सिम बरामद नहीं हुई थी। दिनांक 31.03.2013 को इस साक्षी ने आरोपी की पुलिस रिमाण्ड के दौरान थाना गोरखपुर में ही बमबम एवं सुरजीत की उपस्थिति में पूछताछ कर मेमोरेण्डम **प्र0पी0—15** लेख करना प्रकट किया है, प्र0पी0—15 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर यह कहा है कि आरोपी राजेश ने बताया था कि मोबाईल अपने भाई बृजेश के पास रखा है, चलकर बरामद करा देगा। उसी दिनांक 31.03.2013 को 15 बजे थाना परिसर में आरोपी राजा से उपरोक्त गवाहों के सामने पूछताछ कर मेमोरेण्डम **प्र0पी0—16** लेखबद्ध करना कहा है, प्र0पी0—16 की पुष्टि कर इस साक्षी ने प्रकट किया है कि राजा ने बताया था कि घटना के समय पहने हुये खून लगे कपड़े डेयरी में खली चुनी के नीचे कमरे में छिपाकर रखा है, चलकर बरामद करा देगा। **प्र0पी0—16** के आधार पर आरोपी राजा के बताये स्थल से हाफ टी—शर्ट, काले कलर का जींस जिस पर खून के धब्बे लगे थे, जप्त कर जप्ती **पत्र प्र0पी0—18** लेखबद्ध करना कहा है, जप्ती पत्र प्र0पी0—18 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर प्रमाणित किये हैं। दिनांक 31.03.2013 को गवाहों की उपस्थिति में आरोपी राजा को गिरफ्तार कर **प्र0पी0—20** की गिरफ्तारी लेख करना करना कहते हुये प्रमाणित किया है।

35— बमबम उर्फ शैवाल **अ0सा0—9 प्र0पी0—15, 16 तथा 18** का साक्षी है। इस साक्षी ने प्र0पी0—15, 16, 18 के तथ्यों की पुष्टि कर अपने समक्ष राजा द्वारा घटना समय पहने कपड़े को खली के नीचे डेयरी में छिपाकर रखना उसके द्वारा पुलिस को जप्त कराया जाना पुष्ट करते हुये राजा की गिरफ्तारी पुष्ट करते हुये **प्र0पी0—15, 16, 18, 20** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर आर.एस.परमार अ0सा0—16 ने दिनांक 31.03.2013 को ही आरोपी बृजेश जो अपचारी बालक है को अभिरक्षा में दिनांक 31.03.2013 को लेकर पूछताछ करने

पर अपने भाई राजेश का मोबाइल अपने कमरे में छिपाकर रखना, चलकर बरामद करा देना कहा है तथा **प्र0पी0—17** के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी/अपचारी बालक बृजेश के आधिपत्य से गवाहों के सामने डबल सिम की मोबाइल जिसकी स्क्रीन के उपर लाइनर—2 तथा नीचे इंटेक्स लिखा था तथा माइक्रोमेक्स मोबाइल जिसमें सिम क्रमांक **9993135127** की सिम डली थी, जप्त कर जप्ती पत्र **प्र0पी0—19** लेख करना कहते हुये उक्त दस्तावेज प्रमाणित किया है। दिनांक 31.03.2013 को ही अपचारी बालक को गिरफ्तार कर **प्र0पी0—21** की गिरफ्तारी तैयार करना, उस पर हस्ताक्षर स्वीकार कर प्रमाणित किया है। शैवाल उर्फ बम—बम अ0सा0—9 ने भी आर.एस.परमार अ0सा0—16 के उक्त कथनों का यथावत् समर्थन किया है तथा प्र0पी0—17, 19 एवं **प्र0पी0—21** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुये उक्त दस्तोवजों की अंर्तवस्तु की पुष्टि की है।

36— आर.एस. परमार अ0सा0—16 ने विवेचना दौरान दिनांक 05.04. 2013 को आरोपी ओमप्रकाश को अभिरक्षा में लेकर थाना गोरखपुर में साक्षी बम—बम एवं सुरजीत के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम **प्र0पी0—22** लेखबद्ध करना कहा है। इस साक्षी ने प्र0पी0—22 की पुष्टि करते हुये प्रकट किया है कि आरोपी ओमप्रकाश ने राजेश के खून लगे कपड़े प्लास्टिक की बोरी में भरकर घर के पीछे कमरे में भूसे में छिपाकर रखा था, चलकर बरामद कराना बताया है। प्र0पी0—22 के मेमोरेण्डम के आधार पर अभिकथित स्थल से आरोपी ओमप्रकाश द्वारा निकालकर पेश किये जाने पर काले रंग का टी—शर्ट, काले रंग का फुल लोवर, एक हल्के कलर का बरमूड़ा जप्त कर सील किया था, जप्ती पत्र **प्र0पी0—23** बनाया था। आरोपी ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया था। प्र0पी0—**23 एवं 24** पर हस्ताक्षर स्वीकार कर उसकी अंर्तवस्तु की पुष्टि की है। शैवाल उर्फ बमबम अ0सा0—9 ने भी अपनी साक्ष्य में **प्र0पी0—22, 23, 24** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर उक्त दस्तावेजों की अंर्तवस्तु की यथावत् पुष्टि करते हुये आर.एस.परमार अ0सा0—16 की साक्ष्य का पूर्णतः समर्थन किया है। आर.एस.परमार अ0सा0—16 तथा शैवाल उर्फ बमबम अ0सा0—9 की प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई ऐसा सारवान विरोधाभास अभिदर्शित नहीं होता जिससे उक्त साक्षीगण का साक्ष्य उक्त तथ्यों के संबंध में शंकास्पद होता हो।

37— **प्र0पी0 39** दिनांक 2.4.13 को विवेचना अधिकारी आर0एस0 परमार अ0सा0 16 द्वारा चीफ मेडिकल अफसर विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर को आरोपी राजेश उर्फ राकेश तथा राजा यादव का ब्लड सेम्पल लिये जाने संबंधी आवेदन पत्र है। आर0एस0 परमार ने **प्र0पी0 39** पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। डॉ0 पी0के0शर्मा **अ0सा0 5** ने साक्ष्य में प्रकट किया है कि 2.4.13 को उक्त दोनों आरोपीगण को विक्टोरिया अस्पताल में उनका ब्लड सेम्पल प्रिजर्व करने हेतु लाये जाने पर साक्षी बमबम उर्फ शैवाल जो मृतक पक्ष का गवाह था तथा शिवप्रकाश यादव जो आरोपी पक्ष का गवाह था कि

उपस्थिति में उनका ब्लड सेम्पल लिया जाकर सीलबंद कर डी एन ए जांच हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया था। आरोपी राजेश उर्फ राकेश के संबंध में तैयार ब्लड नमूना पंचनामा **प्र0पी0 5** तथा आरोपी राजा के संबंध में ब्लड नमूना पंचनामा **प्र0पी0 6** पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 से यह दर्शित होता है कि 2.4.13 को 18.55 बजे डॉ0 पी0के0शर्मा द्वारा राजेश का तथा उसी दिनांक को 19 बजे आरोपी राजा यादव का ब्लड नमूना गवाहों के सामने लिया जाकर उक्त नमूना पंचनामा तैयार किया गया है।

38— डॉ0 पी0के0शर्मा अ0सा0 5 के साक्ष्य को देखा जाये तो प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में इस साक्षी ने प्रकट किया है कि इस साक्षी के समक्ष टेक्निशियन द्वारा दोनों का ब्लड निकाला गया था। इस साक्षी ने ब्लड नहीं निकाला था। किस टेक्निशियन ने ब्लड निकाला था उसका उल्लेख प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 में नहीं है। कंडिका 4 में यह भी प्रकट किया है कि पंचनामें में जिन व्यक्तियों के ब्लड नमूना लिये गये थे उनका पहचान चिन्ह अंकित नहीं है, ब्लड सेम्पल सीलबंद कर पुलिस आरक्षक को सुपुर्द किये जाने का भी उल्लेख नहीं हैं। कंडिका 5 में यह कहा है कि नमूना जो सीलबंद किये गये थे किस आरक्षक को सुपुर्द किया था उसका उल्लेख नहीं है। कंडिका 7 में इस साक्षी ने यह बता पाने में असमर्थता जाहिर की है कि कितने बजे नमूना लेने गया था किंतु बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सुबह 10—10.30 बजे नमूना लिया था क्योंकि पुलिस वाले उसी समय उसके पास आये थे उस दिन 8 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी पर था। स्पष्टतः यह इंकार किया है कि शाम 6—7 बजे उस दिन अस्पताल नहीं गया था किंतु स्पष्टतः किया है यह इंकार कि इस साक्षी ने कोई सेम्पल नहीं लिया था, पुलिस के कहने पर प्र0पी0 5 एंव प्र0पी0 6 पर हस्ताक्षर कर दिया था।

39— बचाव अधिवक्ता ने तर्क के दौरान प्रकट किया कि उक्त कथनों के आधार पर प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 की विश्वसनीयता पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाती है। तर्क पर विचार किया गया। आर.एस.परमार अ0सा0—16 के प्रतिपरीक्षा की कंडिका 27 में किये गये कथन से यह प्रकट होता है कि पंचनामा प्र0पी0—5 एवं 6 पर 18.55 एवं 19 बजे का समय उल्लेख है। इस साक्षी ने यह कहा है कि सहायक उपनिरीक्षक ए.बी. सिंह ने उक्त पंचनामा तैयार किया है। शव परीक्षण का आवेदन प्र0पी0—7 भी ए.बी.सिंह द्वारा लिखा गया है, प्र0पी0—7 पर इस साक्षी ने मात्र हस्ताक्षर किया है। ए.बी.सिंह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ब्लड नमूना लिये जाने का समय मामले में महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही पंचनामे में अनियमितता के आधार पर यह शंका की जा सकती है कि उक्त आरोपीगण का ब्लड सेंपल नहीं लिया गया था। प्रतिपरीक्षा में ही डॉक्टर पी.के.शर्मा अ0सा0—5 ने कहा है कि जो नमूना सीलबंद किया था वह किस आरक्षक को सुपुर्द किया था, इसका उल्लेख प्र0पी0—5 एवं 6 में नहीं है, जिससे अप्रत्यक्षतः यह पुष्ट होता है कि सीलबंद

नमूना किसी आरक्षक को सुपुर्द किया गया था। इसी साक्षी ने स्पष्टतः यह इंकार किया है कि उसने कोई ब्लड सेम्पल आरोपीगण का नहीं लिया था। ब्लड सेम्पल चाहे इस साक्षी द्वारा लिया गया हो, चाहे इस साक्षी के सामने टेक्निशियन द्वारा लिया गया हो यह सारवान तथ्य नहीं है। प्रत्येक विशिष्टयों का विवरण पंचनामें पर न होने के आधार पर प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 की सत्यता संदेहास्पद नहीं होती है।

40— इसी प्रकार **शिव प्रकाश अ0सा0 4** आरोपी राजा यादव का सगा भाई है। यह साक्षी पक्षविरोधी घोषित किया गया है प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर इंकार करते हुए प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 के संबंध में डॉ0 पी0के0शर्मा अ0सा0 5 के साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन के इस सुझाव को इंकार किया है कि अपने भाई एव भतीजे को बचाने के उद्देश्य से सही बात नहीं बता रहा हूॅ। अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने का हेतुक सहज उपधारणीय हैं। शैवाल उर्फ बमबम अ0सा0 9 ने प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर उसके अंतरवस्तु की पुष्टि यथावत करते हुए यह कहा है कि 2.4.13 को शाम 6 बजे विक्टोरिया अस्पताल में डॉ0 प्रमोद शर्मा ने राजा एवं राजेश का ब्लड सेम्पल उसके सामने निकाला था, प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 6 का पंचनामा तैयार किया था। आरोपी राजा का भाई तथा चाचा शिवप्रकाश भी मौके पर था। यद्यपि इस साक्षी ने डॉ0 शर्मा से विरोधाभाषी तथ्य प्रकट कर कंडिका 17 में यह कहा है कि राजा और राजेश का ब्लड सेम्पल इसके सामने सीरिंज लेकर डॉ0 प्रमोद शर्मा ने निकाला था, किंतु उक्त विसंगति आरोपीगण राजा एवं राजेश के ब्लड सेम्पल निकालने संबंधी तथ्य को संदेहास्पद नहीं बनाती।

41— आर0एस0परमार अ0सा0 16 ने मृतक अजीत उर्फ बॉबी के दाहिने हाथ की अंगुली में फंसे हुए जप्तशुदा बाल सीलबंद पेकिट में तथा आरोपीगण राजेश, राजा यादव के निकाले गये सीलबंद शीशी में ब्लड नमूना **प्र0पी0 40** के ड्राफ्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफएसएल सागर भेजा जाना कहा है तथा मामले में जप्तशुदा सामग्रियां ड्राफ्ट **प्र0पी0—41** से एफ.एस.एल. सागर भेजा जाना कहा है। इसी साक्षी ने कॉल डिटेल की समरी **प्र0पी0—42** मामले में स्वंय द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करना कहा है। एफएसएल सागर की रिपोर्ट **प्र0पी0 43** तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट **प्र0पी0 44** है। प्र0पी0 43 एवं प्र0पी0 44 स्वयं में प्रमाण के समतुल्य दस्तावेज है। प्र0पी0 43 से पुष्ट होता है कि दिनांक 22.4.13 को थाना गोरखपुर के आरक्षक द्वारा सीलबंद 10 पेकेट यथा दिनांक 29.3.13 को घटना स्थल से जप्त मिट्टी ए,बी, चप्पल सी,डी, प्लास्टिक की बोरी इ, शालनुमा कपड़ा एफ, आरोपी राजेश से जप्तशुदा **चाकू आर्टिकल जी**, अजीत पाल उर्फ बॉबी की टीशर्ट, लोवर,रूमाल आर्टिकल एच1,एच2,एच3, **राजा यादव** के फुलपेंट, टी—शर्ट आर्टिकल **आई1, आई2** , आरोपी **राजेश उर्फ राकेश के** लोवर, टीशर्ट, अंडरवेयर आर्टिकल **जे1,जे2,जे3** प्रस्तुत किये जाने पर सील खोलकर रासायनिक परीक्षण किया

(न्यायिक ज्ञानकारी/निःशुल्क उपयोग हेतु प्रतिलिपि/अप्रमाणित) watermark

गया था। आर्टिकल ए,सी,डी,इ,एफ, जी,एच1,एच2,एच3, आई1,आई2, जे1,जे2 पर रक्त का परीक्षण किया गया था। आर्टिकल **जी,आई1,आई2, जे1,जे2,जे3** पर मानवरक्त पाये गये थे। आर्टिक्ल ए,बी,इ,एफ,एच1,एच2,एच3 के धब्बे विघटित थे, आर्टिकल बी पर कोई रक्त नहीं पाया गया था, आर्टिकल सी पर रक्त की मात्रा पर्याप्त नहीं थी जिससे यह पुष्ट होता है कि आरोपी राजेश से जप्तशुदा चाकू आर्टिकल जी, राजा यादव के कपड़े आर्टिकल आई1, आई2 तथा आरोपी राजेश के कपड़े आर्टिकल जे1,जे2,जे3 पर मानव रक्त थे।

42— **प्र0पी0 44** से यह पुष्ट होता है कि मृतक अजीत उर्फ बॉबी के दाहिने अंगुली में फंसे बाल के पेकेट 'ए', आरोपी राजेश उर्फ राकेश का रक्त सेम्पल का पेकेट 'बी', तथा आरोपी राजेश यादव के रक्तनमूना पेकेट 'सी', आरक्षक थाना गोरखपुर जबलपुर द्वारा 3.4.13 को सीलबंद पेकिट में प्रस्तुत किया गया था खोलकर बाल पर **आई डी 7905,** राजेश उर्फ राकेश यादव के रक्त सेम्पल पर **आई डी 7906,** राजा यादव के रक्त सेम्पल पर **आई डी 7907** चिन्हित कर वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था। प्रतिवेदन अनुसार मृतक अजीत पाल के दाहिने हाथ की अंगुली में फंसे हुए बाल की डी.एन.ए. प्रोफाईल आरोपी राजेश उर्फ राकेश के श्रोत रक्त सेम्पल से प्राप्त डी0एन0ए0 प्रोफाईल से समरूप था। मृतक के अंगुली में फंसे बाल के श्रोत से प्राप्त डी0एन0ए प्रोफाईल आरोपी राजा यादव के श्रोत का नहीं था।

43— पूरन सिंह **अ0सा0—3** ने आरोपीगण को नाम और शक्ल से जानना पहचानना प्रकट करते हुये यह कहा है कि मृतक बॉबी इस साक्षी की लड़की के ननद का लड़का था। इस साक्षी के दामाद के साथ आरोपीगण इस साक्षी के घर पूर्व में आ चुके थे। यह साक्षी गुरूगोविंद सिंह खालशा स्कूल में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चौकीदारी की ड्यूटी कर अपने लड़की राजविंदर कौर को होली का त्यौहार होने के कारण मिठाई का डब्बा देने उसके घर नर्मदा नगर गया था। रात्रि 9 बजे के लगभग अपनी लड़की के घर से अपने घर के लिये जाते समय रेल्वे क्रॉसिंग के पास पहुंचा था, तो तभी वहां राजा एवं राजेश तथा अजीत उर्फ बॉबी मिले थे। बॉबी ने ससरिया कॉल किया था, इस साक्षी ने बॉबी से बोला कि 9 बज गये हैं, घर क्यो नहीं गये तो उसने कहा था कि होलिका देखने जा रहा है। फिर यह साक्षी बस स्टेण्ड ऑटो से पहुंचकर वहां से अपने घर सालीवाड़ा चला गया था। 28 मार्च को जब यह साक्षी ड्यूटी कर रहा था तभी इसकी बच्ची ने फोन कर बताया कि बॉबी का अपहरण हो गया है। 50 लाख रूपये फिरौती मांगी है। 29 मार्च को फिर इसकी लड़की का फोन आया कि बॉबी की लाश कुंआ में मिली है, राजा एवं राजेश निकालकर दे रहे हैं। 30 मार्च को यह साक्षी अंतिम संस्कार में गया था।

44— पूरन सिंह अ0सा0—3 ने यह कहा है कि जब अंतिम संस्कार में गया था तब क्रॉसिंग के पास टी.आई. मिले थे तो उनसे बताया था कि क्रॉसिंग

(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु प्रतिलिपि)

के पास दिनांक 26 मार्च को बॉबी राजेश एवं राजा के साथ इसे मिला था। इस साक्षी की साक्ष्य पर विचार किया जाये तो प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में पुनः यह कहा है कि इसकी लड़की मृतक बॉबी की सगी मामी है। लड़की के घर से इसका घर 15—20 कि.मी. दूर है, जहां आटो से किराया देकर बच्ची के घर गया था। ऑटो इसे छोड़कर आ गया, उसमें अन्य सवारियों भी थी, यह साक्षी अकेले नर्मदा नगर गया था। कंडिका 4 में पुनः मुख्य परीक्षा के दौरान स्वंय की ड्यूटी के संबंध में किये गये कथनों की पुष्टि कर यह कहा है कि जानकारी मंगाई जाये तो उस दिन की जानकारी मिल जायेगी। यह इंकार किया है कि उस दिन ड्यूटी पर नहीं गया था। सहज स्वाभाविक रूप से यह प्रतिपरीक्षण में कहा है कि 28 तारीख को दोपहर के समय इसे बॉबी के अपहरण की जानकरी मिली थी। उसी समय पुलिस को नहीं बताया था कि 26 तारीख को बॉबी को आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ देखा था। इस साक्षी ने कंडिका 7 में यह कहा है कि पुलिस को बयान देने के अलवा किसी को 26 तारीख को बॉबी के राजेश और राजा के साथ मिलने वाली बात नहीं बताई थी। कंडिका 8 में कहा है कि टी.आई. इस साक्षी को रेल्वे क्रॉसिंग के पास सुबह 10.30 बजे मिले थे, उसी दिन शाम को 5 बजे उन्होंने बयान लिया था। बयान थाने में आकर लिया था, स्पष्टतः यह इंकार किया है कि टी.आई. ने आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ बॉबी को अंतिम बार देखने के संबंध में गवाह बनाने को कहा था। यह भी इंकार किया है कि जैसा टी.आई. ने कहा था, वैसा बयान दिया है।

45— बचाव अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह प्रकट किया है कि नगर निरीक्षक ने साक्ष्य में कंडिका 47 में विरोधाभासी कथन करते हुये यह कहा है कि उसकी पूरन सिंह से किसी रेल्वे कॉसिंग पर मुलाकात नहीं हुई थी, जिससे इस साक्षी का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है। यह भी तर्क के दौरान प्रकट किया है कि आर.एस.परमार उस समय टी.आई. थे, पूरन सिंह ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह कहा है कि जिसने बयान लिया था वह दो फूल वाला था, ऐसा नहीं हुआ कि तीन फूल वाली पुलिस ने बयान लिये हों। यह भी तर्क के दौरान प्रकट किया है कि यदि यह साक्षी बॉबी को आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ 26 मार्च को रात्रि के समय देखा होता तो दिनांक 28 मार्च को दोपहर में उसके अपहरण की सूचना मिलने पर यह उक्त संबंध में अपनी लड़की को बताया होता, पुलिस को जाकर बयान दिया होता, इस साक्षी का कथन दिनांक 31 मार्च 2013 को लेख किया गया है, जिससे इसकी साक्ष्य पूर्णतः शंकास्पद हो जाती है।

46— बचाव अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया, पूरन सिंह 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जहां आरोपीगण इस साक्षी के घर पूर्व में अनेकों बार आये थे। इस साक्षी के दामाद के परिवार वालों से उनके अच्छे संबंध थे। 28 मार्च को इसकी लड़की ने दूरभाष से सूचना दी थी कि बॉबी का अपहरण हो गया है, तो उस समय आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ देखे जाने के

आधार पर उधर यह साक्षी शंका करता, यह सहज स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। आरोपीगण राजा एवं राजेश के पकड़े जाने के बाद पुलिस के बलाये जाने पर इस साक्षी द्वारा दिनांक 31.03.2013 को देखे जाने का कथन दिया गया है। उक्त परिस्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता दुष्प्रभावित नहीं होती। इस साक्षी की साक्ष्य से भी आरोपीगण के विरूद्ध सारवान परिस्थिति पूर्णतः प्रमाणित होती है।

47— सुनील कुमार अ0सा0—13 स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्वारीघाट के शाखा प्रबंधक है। इस साक्षी ने अपनी शाखा में रजवंत कौर अ0सा0—1 जो मृतक की मां है के खाता कमांक 32901171409 का स्टेटमेंट कोर बैंकिंग सिस्टम से निकालकर प्रस्तुत करना कहा है, जो **प्र0पी0—29** है। इस साक्षी ने पुष्ट किया है कि दिनांक 25.03.2013 को रजवंत कौर के खाते में 17 लाख 80 हजार रूपये जमा हुये थे। इस साक्षी ने यह कहा है कि दूसरा एकाउंट नंबर 32864995574 श्री पाल सिंह के नाम का है, जिसका स्टेटमेंट प्र0पी0—30 है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0—29 में रजवंत कौर के पति का नाम लिखित नहीं है। इस प्रकार रजवंत कौर का फोटो नहीं लगा है। इसी प्रकार **प्र0पी0—30** के स्टेटमेंट पर पिता का नाम नहीं लिखा है। दोनो की उम्र नहीं लिखी है। नॉमिनी का नाम भी नहीं है। दोनो एकाउंट इसके सामने नहीं खोले गये थे, यदि प्रतिपरीक्षण के दौरान किये गये उक्त कथनों के आधार पर प्र0पी0—29 का स्टेटमेंट रजवंत कौर अ0सा0—1 के खाते का स्टेटमेंट होना तथा प्र0पी0—30 रजवंत कौर अ0सा0—1 के पिता पाल सिंह के खाते का स्टेटमेंट होना शंकास्पद भी मान लें तो रजवंत कौर अ0सा0—1 ने अखण्डित रूप से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में यह कहा है कि 22 मार्च 2013 को मकान की रजिस्ट्री इसके पिता ने की थी। 10 लाख रूपये रजिस्ट्री शर्त अनुसार 14—15 दिन पहले मिले थे। 27 लाख 50 हजार का चैक मिला था जो रजिस्ट्री के दिन ही इसके पिता पॉल सिंह के नाम मिला था। 24—25 मार्च को पूरा पैसा एकाउंट में जमा कर दिया गया था, उस समय इसके पिता पाल सिंह, भाई मिट्ठू भी मौजूद थे। मुख्य परीक्षा की कंडिका 8 में इसी साक्षी ने कहा है कि कुछ दिन पहले मकान 60 लाख रूपये में बेचा था, जिसकी जानकारी आरोपीगण एवं उसके परिवार को थी कि इस साक्षी को 60 लाख रूपये मिल गये हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त तथ्यों को प्रश्नगत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि बॉबी की मां के पास 60 लाख रूपये की जानकारी होने के आधार पर दिनांक 26 मार्च 2013 को बॉबी का व्यपहरण किया गया था।

48— बचाव अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि रजवंत कौर के पिता ने अपने पुत्रों को पैसा न देकर रजवंत कौर को मकान के पैसे दिये थे। रजवंत कौर अ0सा0—1 से आंतरिक रंजिश के कारण उसके भाइयों ने घटना को अंजाम दिया था। रजवंत कौर अ0सा0—1 ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में स्पष्टतः यह इंकार किया है कि रजिस्ट्री के वक्त इसके तीनों

भाइयों ने एतराज कर इसके पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। कंडिका 13 में यह कहा है कि भाई अमरजीत उर्फ मिट्ठू थ्री व्हीलर चलाता है, कंडिका 14 में यह इंकार किया है कि इसके भाइयों ने इस साक्षी से तथा इसके पिता से संपत्ति को बेचने का हिस्सा मांगा था, यह भी इंकार किया है कि उसी संपत्ति को लेकर इसके पिता और भाइयों का आपस में विवाद हुआ था। अमरजीत उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने भी कंडिका 6 एवं 7 में प्रतिपरीक्षा के दौरान किये गये प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर देते हुये कंडिका 8 में स्पष्टतः यह इंकार किया है कि उसकी बहन ने जो जमीन बेची थी, अन्य भाई बहन उससे हिस्सा मांग रहे थे, न मिलने पर सब नाराज हो गये थे, यह भी इंकार किया है कि उसी बात को लेकर रजवंत कौर से इसकी तथा अन्य भाइ बहनों की मारपीट हुई थी। यह भी इंकार किया है कि यह धमकी दी थी कि रजवंत कौर पैसा अगर नहीं देगी तो उसकी औलाद नहीं रहेगी।

49— इस प्रकार बचाव अधिवक्ता के तर्क से आरोपीगण का बचाव कतई संपुष्ट नहीं होता। कोई भी मां जिसके एक मात्र पुत्र की हत्या हो गई हो, सही अपराधी चाहे उसका सगा भाई भी हो, बचाने के लिये मिथ्या कथन करती, यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

50— बचाव अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह प्रकट किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षत साक्षीगण सगे रिश्तेदार हैं, विवेचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों में किसी भी स्थानीय व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। रजवंत कौर अ0सा0—1 के रिश्तेदार श्री गिल के प्रभाव में आरोपीगण के विरूद्ध मिथ्या मामला निर्मित किया गया है। तर्क पर विचार किया गया। रजवंत कौर अ0सा0—1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में सही बात स्वीकार कर यह कहा है कि डी.एस.पी. श्री गिल इसके जीजा है, जो बालाघाट में है। घटना के बाद वह इसके घर आये थे, जिस दिन बच्चे की लाश का मेडिकल हुआ था वह घर आये थे, दो दिन तक इसके घर ही रहे। यह इंकार किया है कि इसके साथ वह थाने गये थे तथा इसके बयान के समय गिल थाने में रहे।

51— अमरजीत उर्फ मिट्ठू अ0सा0—2 ने भी कंडिका 16 में यह कहा है कि गिल पुलिस विभाग में सी.एस.पी. होकर इसके बहनोई है, 29 तारीख को वह आये थे, 30 तारीख को वह चले गये थे। मात्र डी.एस.पी. गिल रजवंत कौर अ0सा0—1 के रिश्तेदार होकर घटना समय जबलपुर आये थे। इस आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उनके प्रभाव में सही व्यक्ति को छोड़कर गंभीर घटना के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध मिथ्या कार्यवाही की गई है। साक्षी रजवंत कौर अ0सा0—1 ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में सही बात स्वीकार कर यह कहा है कि मिट्ठू उर्फ अमरजीत अ0सा0—2 इसका भाई है। मोनू उर्फ तरणजीत अ0सा0—10 इसका पड़ोसी है, किंतु स्पष्टतः कहा है कि उससे कोई रिश्ता नहीं है। पूरन सिंह अ0सा0—4 इसके भाई का ससुर है।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/निजिक उपयोग हेतु अमान्य)

बम—बम उर्फ शैवाल इसके पति के नियोजक हैं।

52— हितवद्धता, रिश्तेदारी, मित्रता या आरोपी से शत्रुता साक्षीगण की परिसाक्ष्य को अस्वीकार करने का कारण नही हो सकती है वल्कि उक्त परिस्थिति मे ऐसे साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। रिश्तेदार साक्षी की साक्ष्य का अधिमूल्यन करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि साधारणतः रिश्तेदार साक्षी वास्तविक हमलावर को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध मे आलिप्त नही करता है। इस संबंध में **ब्रम्हस्वरूप विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2011 ए0आई0आर0उच्चतम न्यायालय 280, राजेश कुमार विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य 2009 ए 0आई0आर0उच्चतम न्यायालय—01 और रामसिह विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2009 ए0आई0आर0 उच्चतम न्यायालय 282** का न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है, इसलिये हितवद्धता के आधार पर साक्ष्य को अस्वीकार करने और वास्तविक अपराधी को छिपाकर आरोपी को मिथ्या आलिप्त किये जाने वावत किए गये तर्क से आरोपी को कोई लाभ नही मिलता है ।

53— माननीय उच्चतम न्यायालय का बरामदगी संबंधी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में प्रतिपादित दिशा निर्देश निम्नवत् हैं। ***"Transport Commissioner ., A.P. Hyderabad vs. S. Sardar Ali, 1983 SCC (Criminal)*** 8ज्पउम27, has held that : "it is a fallacious impression that when any recovery is effected pursuant to any statement made by the accused the document prepared by the investigating Officer contemporaneous with such recovery, must necessarily be attested by any independent witnesses. It has also been held that when a police official gives the evidence in the court that the some articles were recovered by him on the strength of the statement made by the accused it is always open to the court to believe the version to be correct if it is not otherwise shown to be unreliable.

54- In ***"Ashok Kumar Choudhary vs. State of Bihar, (2008) 12 SCC 173,*** it was observed that : "One cannot lose sight of the ground realities that the members of the public are generally insensitive and reluctant to come forward to report and depose about the crime even though it is committed in their presence. In our opinion, even otherwise it will be erroneous to lay down as a rule of universal

application that non-examination of a public witness by itself gives rise to an adverse inference against the prosecution or that the testimony of a relative of the victim, which is otherwise creditworthy, cannot be relied upon unless corroborated by public witnesses." Thus, the law discussed above do make out a case for the prosecution that no illegality can be seen in the arrest or recoveries effected at the instance of accused by the police officials, without joining any public person and that non-examination of public person would not lead to any adverse inference against the prosecution & such recoveries cannot be termed as tainted.

55– **रोशन सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2005 (I), एम. पी.एल.जे. 292, मनोज कुमार शुक्ला विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2004 (4) एम.पी.एल.जे.179,** में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि कोई साक्षी पुलिस कर्मचारी हो; मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं की जा सकती।
ज्पउम

56– **करमजीत सिंह विरूद्ध स्टेट (2003)5 एस.सी.सी. 291** में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी के साक्ष्य की तरह लेना चाहिये और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है; पुलिस के मामले में भी लागू होती है। इस प्रकार बचाव अधिवक्ता के तर्क से बचाव पक्ष संपुष्ट नहीं होता।

57– बचाव अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले में हेतुक का अभाव है। आरोपीगण की फरियादी पक्ष से कोई पूर्व रंजिश नहीं थी, जिसके आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। तर्क पर विचार किया गया। स्वंय रजवंत कौर अ0सा0–1 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्टतः यह कहा है कि आरोपीगण की उससे कोई रंजिश नहीं थी, किंतु अभियोजन साक्ष्य से ही यह प्रमाणित है कि रजवंत कौर को घटना के पूर्व संपत्ति विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त राशि उससे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके पुत्र अजीत उर्फ बॉबी का व्यपहरण किया गया था। यह भी प्रकट होता है कि रूपये न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई, जो घटना का हेतुक है। इसके बावजूद ***हरियाणा राज्य विरूद्ध शेरसिह 1981 ए0आई0आर0 1021*** *के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय यह प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष इस वात के लिये आवद्ध नही है कि वह ''हेतुक'' को सावित करे । हेतु वह भीतरी प्रेरणा है जो किसी कार्य के लिये गुप्त रूप से मन को*

उकसाती है । यह उपचेतना की स्थिति है जिसे प्रायः व्यक्ति स्वयं भी नही जान पाता है ।

58— आरोपीगण ने यह बचाव लिया है कि आरोपी ओमप्रकाश घटना दिनांक को अपने पैतृक निवास रोहनिया बनारस में भर्ती था, राजेश, ओमप्रकाश का पुत्र तथा आरोपी राजा, ओमप्रकाश का भाई है, आरोपीगण की डेरी से लगी हुई सरदारों की कॉलोनी बन रही है, सरदारों ने आरोपीगण के जमीन पर कब्जा कर लिया है उनके विरूद्ध अनेकों मामले सरदारों ने मिथ्या बनवाये है। रजवंत के बच्चे के साथ घटना होने पर सरदार लोगों ने आरोपीगण को इस मामले में झूंठा फंसाया है। बचाव के समर्थन में डॉ0 संदीप कुमार **ब0सा0 3** ने प्र0डी0 13 एवं प्र0डी0 14 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है। प्र0डी0 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चहनिया जिला चंदौली उ0प्र0 के बाह्य रोगी पर्चा दि0 20.3.13 है। इस साक्षी ने कहा है कि पर्चा बाह्य रोगी खिड़की से तैयार करवाया जाता है। प्र0डी0 13 पर ब्लड एवं पेशाब की जांच कराये जाने के संबंध में टीप अंकित की है। प्र0डी0 14 का चिकित्सकीय प्रमाणपत्र ओमप्रकाश यादव के संबंध में दिनांक 20.3.13 से 29.3.13 तक की अवधि के लिये साक्षी द्वारा जारी किया गया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति ओपीडी में पहुचकर नाम बताकर पर्चा कटा लेता है, आई डी की मांग नहीं की जाती। यदि अन्य व्यक्ति ने ओमप्रकाश नाम बताकर पर्चा कटवाया हो तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः स्वीकार किया है कि ओमप्रकाश नाम का कोई भी व्यक्ति 20.3.13 से 29.3.13 तक इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। इसी साक्षी ने नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जानकारी चाही जाने पर ओमप्रकाश के दिनांक 20.3.13 से 29.3.13 तक अपने अस्पताल में ओमप्रकाश यादव पिता बुलेटिन यादव के नाम से पंजी में दर्ज न होने की तथा भर्ती रहकर इलाज न करवाये जाने के संबंध में जानकारी भेजना कहा है। साक्षी ने न्यायालय में उक्त जानकारी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो प्र0पी0 45 है। अपर लोक अभियोजक ने तर्क के दौरान प्रकट किया है कि प्र0डी0—14 पर बने आरोपी ओमप्रकाश के अभिकथित हस्ताक्षर 'ओमप्रकाश यादव' तथा आदेश पत्रिकाओं, प्ली में आरोपी के द्वारा किये गये हस्ताक्षर में स्पष्ट भिन्नता दर्शित होती है। न्याायलय द्वारा तर्क के आलोक में आदेश पत्रिकाओं में आरोपी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर तथा प्र0डी0—14 पर बने हस्ताक्षर की तुलना की गई। प्र0डी0—14 पर बना हस्ताक्षर आदेश पत्रिकाओं में आरोपी के हस्ताक्षर से स्पष्टतः भिन्न प्रतीत होता है। इसके अलावा स्वयं शिवप्रकाश अ.सा. 4 जो आरोपी ओमप्रकाश का सगा भाई है , ने मुख्यपरीक्षण में यह प्रकट किया है कि 28 तारीख को रात में पुलिस आरोपीगण राजा, **ओमप्रकाश** एवं राजेश को उठाकर ले गयी थी थाने में बंद कर बहुत मारा था। यह साक्षी यद्यपि पक्ष विरोधी घोषित किया गया है , किंत उक्त आधार पर संपूर्ण साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त आधार पर आरोपी ओमप्रकाश के चहनिया अस्पताल में घटना दिनांक के पूर्व से भर्ती रहकर इलाजरत् रहने का तथ्य पूर्णतः अविश्वसनीय हो

जाता है।

59— डॉक्टर अजय भंडारी **ब0सा0—1** ने अपनी साक्ष्य में भंडारी अस्पताल से संबंधित ओमप्रकाश यादव का बेडहेड टिकिट **प्र0डी0—6** न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इस साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि ओमप्रकाश दिनांक 30.03.2013 से 05.04.2013 तक भंडारी अस्पताल में इलाजरत् रहा। प्रिंसी ठाकुर **ब0सा0—2** ने साक्ष्य में यह कहा है कि पुलिस वाले 27 मार्च 2013 को राजा यादव, राजेश यादव को गिरफ्तार करके थाने ले गई थी, इस साक्षी को भी गिरफ्तार करके ले गई थी, रात के 10 बजे इसका तथा राजा एवं राजेश का मोबाइल पुलिस ने जप्त कर लिया था। राजेश और राजा को पुलिस ने बहुत मारा था, राजेश यादव के सिर के बाल भी उखाड़ लिया था। आरोपी ओमप्रकाश 18 मार्च 2013 से उसकी मम्मी की बहुत तबियत खराब होने के कारण उसे देखने बनारस गये थे और वह खत्म हो गई थी। बनारस से दिनांक 29.03.2013 को ओमप्रकाश जबलपुर आये और 30.03.2013 को पुलिस वाले ओमप्रकाश को गोरखपुर थाने लाये थे, पुलिस वालों ने ओमप्रकाश को इसके सामने बहुत मारा था, फिर पुलिस वालों ने ओमप्रकाश को भंडारी अस्पताल में भर्ती किया था। 30 मार्च को ओमप्रकाश को भर्ती किया गया था, यह साक्षी ओमप्रकाश को खाना देने जाती थी, इस साक्षी ने अस्पताल का फोटो प्र0डी0—7, 8, 9, 10 तथा सी.डी. प्र0डी0—11 साक्ष्य में प्रदर्शित किया है।

60— मामले में घटना दिनांक 26 मार्च 2013 को आरोपी ओमप्रकाश की जबलपुर में उपस्थिति का तथ्य महत्वपूर्ण है, उसने उक्त दिनांक को चहनिया प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में भर्ती होने का बचाव लिया है, जबकि बचाव साक्षी डॉक्टर संदीप कुमार **ब0सा0—3** के ही साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ओमप्रकाश चहनिया प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में दिनांक 29.03.2013 तक भर्ती रहकर इलाजरत् नहीं रहा। प्रिंसी ठाकुर ब0सा0—2 ने कंडिका 7 में यह कहा है कि ओमप्रकाश के घर इसकी मां गोबर उठाने का काम करती है, बहुत पहले से ही इस साक्षी का आना जाना है, एक बार बनारस भी आरोपी ओमप्रकाश के साथ एक शादी के अवसर पर यह साक्षी गई थी। उसी कंडिका में सही बात स्वीकार कर यह बात कही है कि ओमप्रकाश की पत्नि ने पूछने पर बताया था, उसी आधार पर ओमप्रकाश के बनारस जाने वाली बात बताई है, उसकी मां की तबियत खराब होने वाली बात बताई है। इस प्रकार इस साक्षी के आरोपीगण के परिवार से घनिष्ठ संबंध होने के आधार पर इस साक्षी द्वारा आरोपीगण के पक्ष में कथन किया जाना अभिदर्शित होता है। इस साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता उपरोक्त तथ्य के आधार पर पूर्णतः शंकास्पद हो जाती है।

61— बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक विधि प्रस्तुत किया है— **म0प्र0राज्य बनाम शेख मोह0 1997 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन.5** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य

अधिनियम के अंतर्गत खाली स्थान से वस्तुओं का अभिग्रहण अभियोजन की सहायता नहीं करता।

राजीव एवं अन्य बनाम म0प्र0 राज्य 2011 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 35 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहां मामला परिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित था, मृतक का कंकाल, टी—शर्ट खाली स्थान पर पड़े हुये थे, उनकी बरामदगी अभियोजन के लिये उपयोगी नहीं है।

रामरेड्डी, राजेश खन्ना रेड्डी एवं एक अन्य बनाम म0प्र0 राज्य ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1656 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह न्यायिक प्रतिपादना की है कि अंतिम बार देखे जाने संबंधी साक्ष्य की संपुष्टि की आवश्यकता होती है, जहां मृतक की मृत्यु का समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

भागीरथ बनाम राज्य 1958 जे.एल.जे. 900 सी.एल. 199 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कल्पना प्रमाणित करने हेतु साक्षियों को यह कथन करना चाहिये कि आरोपी ने कौन से शब्द उच्चारित किये, जिसके आधार पर पुलिस को तथ्यों के अन्वेषण की सूचना मिली थी।

पोहल्या मोट्या वॉल्बी बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (1980) 1 एस.सी.सी. 530 के मामले में माननीय उच्चमत न्यायालय ने अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति के मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रतिपादित किये हैं तथा यह प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में जहां तक संभावनाए प्रकट होती हो, जो संभावना आरोपी को लाभ पहुंचाती हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

पूरनलाल काछी बनाम म0प्र0राज्य 2006 (3) एम.पी.एच.टी. 208 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि 'आखिर में साथ—साथ देखे गये' का साक्ष्य एक कमजोर किस्म का साक्ष्य है। अन्य परिस्थितियां साबित नहीं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्ध अंकित करने की कसौटी में खरी नहीं उतरी, धारा 302 भा.द.वि. के आरोप में दोषमुक्त किया गया।

स्टेट (दिल्ली प्रशासन) बनाम गुलजारी लाल टंडन ए.आई.1979 एस.सी. 1382 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि जहां अभियोजन मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित हो, हेतुक महत्वपूर्ण हो जाता है।

देव प्रकाश बनाम म0प्र0 राज्य 2004 (2) एम.पी.एच.टी. 121 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने की साक्ष्य अंर्तनिहिततः कमजोर प्रकार की साक्ष्य है, जो स्वतंत्र सारवान विशिष्टियों से प्रबल संपुष्टि की अपेक्षा करती है।

म0प्र0 राज्य बनाम महेश एवं एक अन्य 2008 (1) एम.पी.एच.टी. 151 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने कोई निश्चित विश्वसनीय साक्ष्य न होने, शव अभियुक्त/व्यक्तियों की सूचना के आधार पर बरामद किया जाना प्रमाणित न होने, हेतुक के संबंध में साक्ष्य न होने, धारा 157 द.प्र.सं. के प्रावधानों का पालन न किये जाने के आधार पर

विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निष्कर्षों को समुचित ठहराया है। **सी.पेरूमल विरूद्ध राजशेखरन एवं अन्य 2012 किम.लॉ जनरल 3491, कन्हैया लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्था 2014 कि.लॉ.ज. 1950** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रतिपादित किये गये हैं। **देवनंदन मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 1955 सु.को. 801** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक दिशा निर्देश प्रतिपादित किया है।

62— बचाव पक्ष की ओर से उद्धृत उपरोक्त न्याय दृष्टांत का परिशीलन किया गया। प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थिति सर्वथा एक—दूसरे से भिन्न होती है। ***लालीराम विरूद्ध स्टे ट ऑ फ एम.पी. (2008) 10 एस.सी.सी.69*** *में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दांडिक विचारण में साक्ष्य मूल्यांकन में न्याय दृष्टांत लागू नहीं होते है, बल्कि तथ्यों के आधार पर निराकरण होता है।* इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक विधि से बचाव पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती।

63— बचाव अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह प्रकट किया है कि आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 26 मार्च 2013 के प्रातः 9 बजे के लगभग आपराधिक षड्यंत्र कर अजीत पॉल उर्फ बॉबी के अपहरण का आरोप निर्मित किया गया है जबकि रजवंत कौर अ0सा0—1, मिट्ठू उर्फ अमरजीत अ0सा0—2 तथा विवेचना अधिकारी आर.एस.परमार अ0सा0—16 की साक्ष्य से दिनांक 26.03.2013 के रात्रि 9 बजे अजीत पॉल उर्फ बॉबी के घर से अंतिम बार जाना पुष्ट हुआ है, जिससे अभियोजन मामला शंकास्पद हो जाता है।

64— तर्क पर विचार किया गया। गणेश अ0सा0—6 ने साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि प्र0पी0—1 की गुमशुदगी में 9 बजे का समय उल्लेखित है, प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि रात्रि 09 बजे रजवंत कौर ने बॉबी को घर से जाना बताया था, किंतु प्र0पी0—1 के दस्तावेज में उक्त संबंध में कोई लेख नहीं है। यद्यपि दिनांक 26.03.2013 के प्रातः 9 बजे का अभिवर्णन आरोप में किया गया है, किंतु उक्त त्रुटि टंकण त्रुटि प्रतीत होती है, इसके बावजूद अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षियों की व्यापक प्रतिपरीक्षा की गई है। अतः धारा 464 द.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार आरोप में उक्त टंकण त्रुटि के आधार पर आरोपीगण के बचाव पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, उक्त तर्क से यह दर्शित नहीं होता। अतः उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

65— उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर दिनांक 26 मार्च 2013 के रात्रि 9 बजे के लगभग 15 वर्षीय अजीत पॉल उर्फ बॉबी का घर से

(शासकीय/निःशुल्क उपयोग हेतु प्रतिलिपि)

होलिका देखने के लिये जाना, लगभग उसी समय बॉबी उर्फ अजीत पॉल का आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ मोटरसायकिल पर साक्षी पूरनसिंह अ0सा0—3 द्वारा देखा जाना, दिनांक 27.03.2013 को आरोपी ओमप्रकाश का मृतक के मामा अमरजीत उर्फ मिट्ठू के साथ बॉबी की तलाश में लगे रहना, दिनांक 28.03.2013 को मिट्ठू उर्फ अमरजीत अ0सा0—2 के मोबाइल पर बॉबी को अपने कब्जे में होना कहते हुये उसकी हत्या की धमकी देकर पचास लाख रूपये की मांग किया जाना, जिस सिम से बॉबी को कब्जे में होने तथा पचास लाख रूपये की मांग की गई थी, उक्त सिम का उपयोग उक्त अवधि में आरोपी ओमप्रकाश के मोबाइल का उपयोग किया जाना, आरोपी ओमप्रकाश द्वारा फोन करने वाले को गाली गलौच करना फिर रजवंत कौर से बॉबी की मुक्ति के लिये एक लाख रूपये तुरंत देने की पहल करना, ए.टी.एम. में पैसे होने की चर्चा करना, रजवंत कौर के पास मकान बेचकर पैसे की जानकारी आरोपीगण को होना, आरोपी राजेश के मेमोरेण्डम के आधार पर कुंए से बॉबी की लाश, उपरोक्त चाकू का बरामद होना, आरोपी राजा के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके खून लगे कपड़े बरामद होना, आरोपी राजेश उर्फ राकेश के डी.एन.ए. प्रोफाइल का मृतक के हाथ से जप्त बाल के डी.एन.ए. प्रोफाइल का मैच होना श्रृंखलाबद्ध होकर सिर्फ व सिर्फ इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि अल्पव्यस्क बॉबी उर्फ अजीत पॉल का व्यपहरण, उसकी हत्या की धमकी देकर मुक्ति धन देने के लिये विवश करने हेतु आपसी सहमति से आरोपीगण ओमप्रकाश, राजा एवं राजेश उर्फ राकेश ने मिलकर की थी तथा पश्चात् में आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश ने षड्यंत्र कर बॉबी उर्फ अजीत पॉल का चाकू से गला काटकर लाश प्लास्टिक की बोरी में भरकर कुंए में छिपाया था। **आरोपी ओमप्रकाश** की आलिप्ति आरोपीगण राजा एवं राजेश के साथ मिलकर मुक्ति धन के उद्देश्य से बॉबी उर्फ अजीत पाल के **व्यपहरण के आपराधिक षड्यंत्र की सीमा तक** शंका से परे प्रमाणित होता है।

66— आरोपीगण राजा एवं राजेश के विरूद्ध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य श्रृंखलाबद्ध होकर निःसंदेह यह इंगित करती है कि दोनो आरोपीगण ने आपराधिक षड्यंत्र कर उसके अनुशरण में 15 वर्षीय बॉबी उर्फ अजीत पॉल का व्यपहरण, उसकी मां को पचास लाख रूपये मुक्ति धन देने हेतु विवश करने के उद्देश्य से किया था और मुक्ति धन प्राप्त न होने पर बॉबी उर्फ अजीत पॉल की चाकू से हत्या कर दी थी तथा वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के उद्देश्य से आरोपीगण ने मृतक के शव को बोरी में भरकर कुंए में फेंककर साक्ष्य का विलोपन किया था।

67— अतः आरोपी ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 302 सहपठित धारा 120बी, 201 भा.द.सं. के आरोप शंका से परे प्रमाणित न पाते हुये उसे उक्त धाराओं के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। मुक्ति धन के उद्देश्य से बॉबी उर्फ अजीत पाल के व्यपहरण के षडयंत्र के संबंध में आरोपी ओमप्रकाश के

विरूद्ध धारा 364ए सहपठित धारा 120बी भा.दं सं., तथा आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में मुक्ति धन हेतु बॉबी उर्फ अजीत पाल का व्यपहरण किये जाने, गला काटकर बॉबी उर्फ अजीत पाल की साशय हत्या किये जाने तथा मृतक की लाश कुंए में फेंक कर साक्ष्य विलोपित किये जाने के संबंध में आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश के विरूद्ध धारा 364ए सहपठित धारा 120बी, धारा 302 सहपठित धारा 120बी भा.दं.सं. के आरोप शंका से परे प्रमाणित पाते हुये उन्हें उक्त धाराओं के आरोप में सिद्धदोष ठहराया जाता है।

68— आरोपीगण जमानत पर हैं, उनके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं, उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

69— दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

सही/—
डी.पी.मिश्रा
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

पश्चात्

70— दंड के प्रश्न पर आरोपीगण और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आरोपीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया, कि आरोपीगण प्रथम अपराधी होकर एक ही परिवार के हैं। आरोपीगण राजेश उर्फ राकेश तथा राजा नव युवक हैं। वे अशिक्षित होकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं। अतः इसलिये सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे। इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने गुरूत्तर दंडादेश देने का निवेदन करते हुए प्रकट किया है कि आरोपीगण ने 15 वर्षीय अबोध बालक का मुक्ति धन के उद्देश्य से व्यपहरण कर उसका गला काटकर हत्या कर दी है। मृतक बॉबी उर्फ अजीत पॉल दो बहनों में अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था, माता पिता के वृद्धावस्था का सहारा आरोपीगण ने खत्म कर दिया है। धारा 364ए भा.दं.सं. तथा धारा 302 भा.दं.सं. मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपीगण के कृत्य को देखते हुये उन्हें मृत्युदण्ड की सजा दी जावे।

71— प्रत्येक हत्या, एक सभ्य समाज का गंभीर अपराध है और उक्त अपराध मे दोषसिद्धि की दशा मे अधिरोपित किये जाना वाला न्यूनतम दण्डादेश आजीवन कारावास है,जो कि नियम के रूप मे है जवकि मृत्यु का दण्डादेश अपवाद के रूप मे है । मृत्यु दंडादेश देने के पूर्व अपराध की सभी सुसंगत परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुये यह विचार करना होता है कि क्या आजीवन कारावास का दण्डादेश दोषसिद्ध ठहराये गये अपराध के लिये पर्याप्त नही है? और यदि अपराध की रीति, कारित किये जाने का तरीका,उसकी भयावता तथा आरोपी का दुसाहस ऐसा है जो कि समाज की समग्र आत्मा को आधात पहुॅचाता है और मानवता पर कुठाराधात करता है वहॉ आजीवन

कारावास का दण्डादेश अपर्याप्त महसूस होता है। हत्या के अपराध के सवंध मे उचित दण्डादेश के बिन्दु पर **वचनसिह विरूद्ध पंजाव राज्य 1980 ए0आई0आर0—898 और माछीसिह विरूद्ध पंजाव राज्य 1983 ए0 आई0आर0 957** के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये है ।

72— वचनसिह वाले मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:—

1. अत्यधिक अपराधिक प्रकारके गंभीरतम मामलो के सिवाय मृत्यु की पराकाष्ठा की शास्ति अधिरोपित नही की जाना चाहिये,
2. मृत्यु की शास्ति का विकल्प करने के पूर्व 'अपराध' की परिस्थितियो सहित अपराधी की परिस्थिति को भी विचार मे लिया जाना चाहिये,
3. नियम आजीवन कारावास है और मृत्यु का दण्डादेश एक अपवाद है । अन्य शब्दो मे मृत्यु का दण्डादेश तभी अधिरोपित किया जाना चाहिये जव अपराध की सुसंगत परिस्थिति को दृष्टि मे रखते हुये आजीवन कारावास कुल मिलाकर अपर्याप्त दंडादेश प्रतीत होता हो और आजीवन कारावास के दण्डादेश के विकल्प का उपवंध और एक मात्र उसी का उपवंध किया गया हो, अपराध की प्रकृति और परिस्थिति को तथा सभी सुसंगत परि—स्थितियो को दृष्टि मे रखते हुये शुद्ध अन्तःकरण से आजीवन कारावास का दण्डादेश अधिरोपित करने का प्रयोग नही किया जा सकता है,
4. बढ़ाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियो का तुलना पत्र लेखा जोखा तैयार करना होगा और ऐसा करते हुये कम करने वाली परिस्थितियो को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व बढ़ाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियो के बीच न्याय संतुलन करना होगा ।

73— **सुंदर उर्फ संदराराजन बनाम स्टेट बाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस किं.अपील.कं 300—301/2011 निर्णय दिनांक 05 फरवरी 2013** में लंबित मामले की प्रकृति के समरूप प्रकरण में बढ़ाने वाली तथा कम करने वाली परिस्थितियों को विस्तृत रूप से लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है—

"Aggravating Circumstances:

(1) The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping etc. by the accused with a prior record of conviction for

capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.

(2) The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.

(3) The offence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.

(4) The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.

(5) Hired killings.

(6) The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.

(7) The offence was committed by a person while in lawful custody.

(8) The murder or the offence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty under Section 43 Cr.P.C.

(9) When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community.

(10) When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman, a

daughter or a niece staying with a father/uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.

(11) When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

(12) When there is a cold blooded murder without provocation.

(13) The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society."

"Mitigating Circumstances:

(1) The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.

(2) The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

(3) The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4) The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

(5) The circumstances which, in normal course of life, would render such a behaviour possible and could have the effect of giving rise to mental imbalance in that given situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of human behaviour that, in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in

committing the offence.

(6) Where the Court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

(7) Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eye-witness though prosecution has brought home the guilt of the accused."

74— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में प्रकरण के तथ्य पर विचार करते हुये निम्नानुसार उल्लेख किया गया है—

. "*Insofar as the present case is concerned, there is no doubt, that the accused-appellant has been found to have kidnapped Suresh for ransom, and has also actually committed his murder. In the instant situation therefore,* ***the guilt of the accused-appellant (under Section 364A of the Indian Penal Code) must be considered to be of the gravest nature, justifying the harshest punishment prescribed for the offence.***
(ii) The accused-appellant has also been found guilty of the offence of murder under Section 302 of the Indian Penal Code. Section 302 of the Indian Penal Code also contemplates the punishment of death for the offence of murder. It is, therefore apparent, that the accusedappellant is guilty of two heinous offences, which independently of one another, provide for the death penalty.

(iii) The accused caused the murder of child of 7 years. ***The facts and circumstances of the case do not depict any previous enmity between the parties. There is no grave and sudden provocation, which had compelled the accused to take the life of an innocent child. The murder of a child, in such***

(सामान्य जानकारी प्रतिलिपि / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

circumstances makes this a case of extreme culpability."

(iv) Kidnapping of a child was committed with the motive of carrying home a ransom. On account of the non-payment of ransom, a minor child's murder was committed. This fact demonstrates that the accused had no value for human life. The instant circumstance demonstrates extreme mental perversion not worthy of human condonation.

(v) ***The manner in which the child was murdered, and the approach and method adopted by the accused, disclose the traits of outrageous criminality in the behaviour of the accused.*** *The child was first strangulated to death, the dead body of the child was then tied in a gunny bag, and finally the gunny bag was thrown into a water tank. All this was done, in a well thought out and planned manner. This approach of the accused reveals a brutal mindset of the highest order.*

(vi) All the aforesaid aggravating circumstances are liable to be considered in the background of the fact, that the child was known to the accused-appellant. Murder was therefore committed, not of a stranger, but of a child with whom the accused was acquainted. This conduct of the accused-appellant, places the facts of this case in the abnormal and heinous category.

(vii) The choice of kidnapping the particular child for ransom, was well planned and consciously motivated. The parents of the deceased had four children – three daughters and one son. Kidnapping the only male child was to induce maximum fear in the mind of his parents. Purposefully killing the sole male child, has grave repercussions for the parents of the deceased. Agony for parents for the loss of their

only male child, who would have carried further the family lineage, and is expected to see them through their old age, is unfathomable. Extreme misery caused to the aggrieved party, certainly adds to the aggravating circumstances. In fact, we have to record the aforesaid conclusion in view of the judgment rendered by this Court in Vikram Singh & Ors. Vs.State of Punjab, (2010) 3 SCC 56, wherein in the like circumstances (certainly, the circumstances herein are much graver than the ones in the said case), this Court had upheld the death penalty awarded by the High Court."

75— मेरे समक्ष लंबित प्रकरण में आरोपीगण तथा मृतक के परिवार के मध्य पूर्व से कोई रंजिश नहीं थी, मृतक बॉबी उर्फ अजीत पॉल 15 वर्षीय अपने माता पिता का एकलौता पुत्र संतान था, उसकी दो बहनें हैं, पचास लाख रूपये की फिरौती को लेकर आरोपीगण जो पड़ोसी थे, मृतक बॉबी का व्यपहरण किये तथा मृतक बॉबी के हत्या की धमकी देकर पचास लाख रूपये की मांग कर उसकी मां को विवश किया, इतना ही नहीं, अबोध बालक की आधी गर्दन चाकू से काटकर आरोपीगण राजा उर्फ राजेश ने योजनाबद्ध तरीके से निर्मम हत्या कर लाश बोरी में भरकर कुंए में फेंक दिया था। धारा 364ए, 302 भा.द.वि. के दोनो अपराध मृत्युदण्ड की सजा से दण्डनीय है। आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश द्वारा रजवंत कौर के वंश को ही समाप्त कर उसके वृद्धावस्था के सहारे को समाप्त कर दिया गया है। इस मामले के तथ्य एवं परिस्थिति उपरोक्त उद्धृत **सुंदर उर्फ संदराराजन बनाम स्टेट बाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस** वाले मामले के समान होकर मामला विरल से विरलतम की कोटि में आता है। अपराध में बढ़ाने वाली परिस्थितियां, कम करने वाली परिस्थितियों की तुलना में अधिक हैं।

76— ***हेनरी वेस्ट मूलर रोबर्ट विरूद्ध स्टेट आफ असम एवं मोहन विरूद्ध स्टेट आफ तमिलनाडु (1998) 5 एस.सी.सी. 336*** के मामले में भी एक बालक का व्यपहरण हुआ था, जिसकी हत्या कर दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड के दण्डादेश को उचित ठहराया गया।

77— बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इन तर्को पर कि आरोपीगण राजा एवं राजेश नवयुवक है , आरोपीगण अशिक्षित एवं गरीब परिस्थिति के व्यक्ति है , यह उनका प्रथम अपराध है , पर विचार किया गया। माननीय सर्वोच्च ने दोषसिद्ध व्यक्तियों के कम उम्र होने के बावजूद भी निम्न मामलों में मृत्यु दण्ड की पुष्टि की है।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

(अ) मोह. अजमल मोह. आमिर कसाब उर्फ अबु मुजाहिद विरूद्ध स्टेट आफ महाराष्ट्र (2012) 9 एस.सी.सी. 1
(ब) अतवीर विरूद्ध स्टेट (एन.सी.टी. आफ दिल्ली) (2010) 9 एस.सी.सी. 1
(स) विक्रम सिंह विरूद्ध स्टेट आफ पंजाब (2010) 3 एस.सी.सी. 56
(द) शिवु विरूद्ध हाई कोर्ट आफ कर्नाटक (2007) 4 एस.सी.सी. 713
(इ) जय कुमार विरूद्ध म0प्र0 राज्य (1999) 5 एस.सी.सी. 1
(एफ) धनंजय चटर्जी विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एस.सी.सी. 220

78— माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न मामलों में निर्धारित किया है कि सिद्ध दोष व्यक्तियों को अपराध के संबंध में दण्डादेश पर विचार करते समय उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रास्थिति को निर्धारक तत्व नहीं समझा जाना चाहिये।
(अ) शिम्भू विरूद्ध हरियाणा राज्य 2013 (10) स्केल 595
(ब) कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा (2004) 4 एस.सी.सी. 75

79— अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय सिद्धदोष आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश के द्वारा किए गए अपराध को 'विरल से विरलतम' श्रेणी का मान्य करते हुए, उनके सिद्ध पाए गए अपराध में विधि में प्रावधानित अधिकतम सजा को प्रस्तावित करती है तथा आरोपी ओमप्रकाश को जिसका अपराध मृतक बॉबी उर्फ अजीत पॉल के मुक्तिधन हेतु व्यपहरण किये जाने के अपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत दोषसिद्ध आरोप में निम्नानुसार दण्डादेश दिए जाने हेतु आदेशित करती हैः—

क	आरोपी	धारा	सजा	व्यतिक्रम में सजा
1	ओमप्रकाश	364ए सहपठित धारा 120बी भा.द.वि.	आजीवन कारावास एवं 2000/— अर्थदण्ड	दो माह का अति. सश्रम कारावास
2	राजेश उर्फ राकेश	364ए सहपठित धारा 120बी भा.द.वि.	मृत्यु दण्ड एवं 1000/— अर्थदण्ड	दो माह का अति. सश्रम कारावास
		302 सहपठित धारा 120बी भा.द.वि.	मृत्यु दण्ड एवं 1000/— अर्थदण्ड	दो माह का अति. सश्रम कारावास
		201 भा.द.वि.	पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपये	एक माह का अति. सश्रम कारावास

			अर्थदण्ड	
3	राजा	364ए सहपठित धारा 120बी भा.द.वि.	मृत्यु दण्ड एवं 1000/— अर्थदण्ड	दो माह का अति. सश्रम कारावास
		302 सहपठित धारा 120बी भा.द.वि.	मृत्यु दण्ड एवं 1000/— अर्थदण्ड	दो माह का अति. सश्रम कारावास
		201 भा.द.वि.	पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपये अर्थदण्ड	एक माह का अति. सश्रम कारावास

80— सिद्धदोष आरोपीगण राजेश उर्फ राकेश एवं राजा को धारा 364ए सहपठित धारा 120बी, 302 सहपठित धारा 120बी, 201 भा.द.सं. के अंतर्गत दी गई सभी मूल सजाएँ एक साथ भुगताई जावें।

81— चूँकि सिद्धदोष आरोपीगण राजेश उर्फ राकेश एवं राजा को भा.द.सं. की धारा—364ए/120बी, 302/120बी के अपराध में मृत्युदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश दिया गया है। अतः द.प्र.सं. की धारा—354(5) में दिए गए प्रावधान के तहत यह निर्देश दिया जाता है कि सिद्धदोष आरोपीगण राजेश उर्फ राकेश एवं राजा को गर्दन में फॉसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए।

82— सिद्धदोष आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश को दिया गया ''मृत्यु दण्डादेश'' द.प्र.सं. की धारा—366(1) में दिये गये प्रावधान के तहत तब तक निष्पादित न किया जायेगा, जब तक वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जावे।

83— सिद्धदोष आरोपीगण राजा, राजेश उर्फ राकेश एवं ओमप्रकाश द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई समयावधि को उनकी मूल सजा में समायोजित किया जावे; इस हेतु पृथक से द.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

84— धारा 357—ए द.प्र.सं. के अंतर्गत मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को समुचित प्रतिकर की राशि दिलाये जाने का निर्देश दिया जाता है। अतःआदेश की प्रतिलिपि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित की जावे कि धारा 357ए की उपधारा (1) के अनुसार प्रतिकर की राशि का निर्धारण कर निर्धारित प्रतिकर मृतक के विधिक

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

उत्तराधिकारियों को प्रदत्त की जावे।

85— अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

86— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति, खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी, प्लास्टिक की दो चप्पल, मेक्डॉवेल की खाली बोतल, लोहे का चाकू, प्लास्टिक की बोरी, मृतक के बाल, सालनुमा कपड़ा, नीले रंग की पुरानी टी–शर्ट, खून के दाग लगे जींस कर्टराइज का काले रंग का फुलपेंट, काले रंग का टी–शर्ट, हॉफ अस्तीन का काले रंग का फुल लोवर, हरे रंग का बरमूड़ा, मृतक अजीत पाल के कपड़े तथा इत्यादि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विनष्ट किया जावे। अपचारी बालक बृजेश यादव से जप्तशुदा मोबाइल डबल सिम का जिसकी स्क्रीन के उपर नेनो तथा स्क्रीन के नीचे अंग्रेजी में इंटेक्स लिखा है, तथा एक माइक्रोमेक्स कंपनी का काले रंग का मोबाइल जो अभियोजन अनुसार आरोपी राजेश उर्फ राकेश यादव की है, अपील अवधि पश्चात् राजेश यादव को वापिस की जावेगी, अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

87— सिद्धदोष आरोपीगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

88— द.प्र.सं. की धारा–363(4) में दिए गए प्रावधान के तहत सिद्धदोष आरोपीगण को यह जानकारी दी जाती है, कि वह परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद–115–क में दिए गए प्रावधान के तहत दण्डादेश की तारीख से 30 तीस दिवस के अन्दर यदि वह चाहे तो इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर में अपील कर सकता है।

89— आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः उनका जेल वारण्ट संलग्न कर द.प्र.सं. की अनुसूची ।। में वर्णित प्रारूप संख्या–40 के अनुसार ''मृत्यु दण्डादेश'' के अधीन सुपुर्दगी का वारण्ट तैयार कर सिद्धदोष आरोपीगण राजा एवं राजेश उर्फ राकेश को केन्द्रीय जेल, जबलपुर भेजा जावे तथा सुपुर्दगी वारण्ट के साथ निर्णय की एक प्रति जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर को उचित कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित की जावे।

90— आरोपी ओमप्रकाश को विधिवत् सजा वारण्ट बनाकर केन्द्रीय जेल, जबलपुर भेजा जावे।

91— प्रकरण का अभिलेख ''मृत्यु दण्डादेश'' की पुष्टि किए जाने हेतु द.प्र.सं. की धारा–366 (1) के प्रावधान के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के माध्यम से माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च

(सामान्य ज्ञानकारी हेतु प्रतिलिपि / शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

न्यायालय, जबलपुर को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/—
(डी.पी.मिश्रा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/—
(डी.पी.मिश्रा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)